

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2025-कार्तिक 30, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्र. GAD-6-0009-2025-GAD-1-एक-(GAD).—माननीय न्यायाधिपति, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.—कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक A/4279 (दो-1-6/2024), दिनांक 25 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 अक्टूबर से 5 दिसम्बर 2025 तक, चालीस दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 26 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025

क्र.—GAD-6-0027-2025-GAD-1-एक-(GAD).—

माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रणय वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.—कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी/7133 (दो-1-11/2022), दिनांक 22 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 मई 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 मई 2025 का तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।

क्र.-GAD-6-0028-2025-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी/7457 (दो-1-04/2024), दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 सितम्बर 2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 से 7 सितम्बर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 14 सितम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.

क्र.-GAD-6-0005-2024-GAD-1-एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति, श्री हृदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी/1358 (दो-1-16/2023), दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 18 से 19 सितम्बर 2025 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुमन रैकवार, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2025

क्र.-ई.एफ.-1-1-1-0276-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन, श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 28 सितम्बर 2025 तक, दस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्र.ई.एफ.-1-1-1-0212-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री योगेश देशमुख, भापुसे, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2025 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 20-21 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवधि में आस्ट्रेलिया एवं इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (EX-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, की अवकाश अवधि में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2025

फा. क्र. 4493-इक्कीस-ब(एक)-2025.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 46 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	जिले का नाम	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
"46	अनूपपुर	श्री नरेन्द्र पटेल, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर."

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No.4493-XXI-(B-I)-2025.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 46 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"46.	Anuppur	Shri Narendra Patel, 1 st District and Additional Sessions Judge, Anuppur."

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार पाठक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025

फा.क्र. 4490-2025-इक्कीस-ब(एक).- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री यश कुमार सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा, जिला ग्वालियर की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), पूर्वी क्षेत्र बेंच (EZB), कोलकाता के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2025

पंजी.क्र. 3646-इक्कीस-ब(दो)-2025.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेश कौशल, नोटरी, तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य हेतु 100/- रुपये के स्थान पर 300/- रुपये लिये जाने एवं कोरे शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने का दोषी पाने के परिपेक्ष्य में जारी आदेश दिनांक से 01 माह की अवधि के लिये निलंबित किया जाता है.

पंजी.क्र. 3575-इक्कीस-ब (दो)-2025.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, नोटरी, जिला इन्दौर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह अनुबंध निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्र.-8-6-0001-2025-Sec.-2-इकतालीस-(SNT).-मध्यप्रदेश आई.टी., आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन, एतद्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वामित्व के निम्नलिखित क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.	सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र	स्थान (ग्राम का नाम)	खसरा नं. (हेक्टेयर एकड़ में)	तहसील	जिला	भूमि (हेक्टेयर/ एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, परदेशीपुरा, इन्दौर.	परदेशीपुरा, इन्दौर.	भूखण्ड क्रमांक 143, कुल रकबा 5 एकड़.	इन्दौर	इन्दौर	भूखण्ड क्रमांक 143, कुल रकबा, 5 एकड़.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्र. एफ-1-5-25-रा.स.-यू.ए.1-1042.- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 9 सन् 1991) की धारा 24 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, एतद्द्वारा, प्रो. आलोक चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र.139-88-स्था.-2025-8724.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88-स्था.-647, दिनांक 13 जनवरी 2025 के द्वारा जिला बैतूल में वर्ष 2025 के लिये 03 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-06-2024-एक-4, दिनांक 26 अगस्त 2025 के द्वारा जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी का सामान्य अवकाश घोषित किए जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88-स्था.-647, दिनांक 13 जनवरी 2025 में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक 04 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर, बैतूल वर्ष 2025 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथि का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्र..	त्यौहार का नाम	दिनांक	दिन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भाई दूज	23 अक्टूबर 2025	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला

2. उपरोक्त अवकाश कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 9 अक्टूबर 2025

क्र.-63-2025-न्या.लि.-17330.- प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक-NHAI-PIU-KNW-BAL-DH-2025-5131 दिनांक 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार खण्डवा जिले स्थित नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल की तनावपूर्ण स्थिति और इसकी डिजाइन क्षमता एवं संरचनात्मक विन्यास को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन से व्यापक जनहित में 20 टन से अधिक के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है और केवल 20 टन तक के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा-इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं, संतुष्ट हूँ कि खण्डवा-इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

(2) अतएव इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि :-

- (1) आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित करता हूँ, इस मार्ग पर भारी मालयान (20 टन वजन से एवं 06 चक्के से अधिक) संचालित नहीं होंगे।
- (2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए.बी. रोड तक पहुंच सकते हैं।
- (3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंच सकते हैं।
- (4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
 - (4.1) राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में संलग्न एन.एच.ए.आई. एम.पी.आर.डी.सी. रेल्वे में संलग्न वाहन।
 - (4.2) दुग्ध वाहन
 - (4.2) फायर बिग्रेड इमरजेंसी सेवा में संलग्न वाहन
 - (4.3) आर्मी के वाहन
 - (4.4) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
 - (4.5) एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन (20 किलो लीटर की भण्डारण क्षमता तक)
 - (4.6) यात्री बसें
 - (4.7) खाद परिवहन में संलग्न वाहन
 - (4.8) अति आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहन

यह आदेश आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा।

ऋषभ गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 नवम्बर 2025

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1988-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	दिनपुरा	0.4158	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1999-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	मढ़ऊ	0.2220	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरवाकला माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2000-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	लालपुर	0.0896	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2003-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	कैथा	0.2028	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2004-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	सोनवर्षा	0.7536	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2005-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	अकहा	1.1652	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर, नौगवां एवं मैनहा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2006-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	मतरी बरमेन्द्र	0.0638	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2007-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	लगरगवां	0.1104	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीकुर्मिहाई माइनर 01 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2008-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	गोबरांवकला	0.0539	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2009-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	अकही	0.0572	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2013-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	घोंटी	0.2794	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2014-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	बिहटा	0.5220	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2015-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	उमरी	0.0396	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-2017-भू-अर्जन-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	मतरी बरमेन्द्र	0.1100	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर, के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र.-1747-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0001-अ-82-2025-26

इन्दौर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रंगकराडिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	रंगकराडिया	1.716	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हैक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	मनोज पवन पिता सुभाष जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250/1/1/3	0.691	0.154	सिंचित
2	मोहन सोहन पिता राघेश्याम जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250/3/2/1	1.289	0.103	सिंचित
3	मनोज पवन पिता सुभाष जाति खाती पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250/3/2/2	0.634	0.620	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	उमेश लखन पिता कैलाश जाति खाति पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250/3/2/3	0.634	0.378	सिंचित
5	कैलाश पिता तौलाराम शासकीय पट्टेदार जाति भील पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ~~अहस्तांतरणीय~~	251/6	0.400	0.054	सिंचित
6	(शासकीय) रमेश पिता हीराजी शासकीय पट्टेदार जाति बलाई पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	251/5.	0.400	0.400	सिंचित
7	बाबू पिता रामचन्द्र जाति बलाई अहस्तांतरणीय पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	251/4	0.397	0.007	सिंचित
कुल रकबा				1.716	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1743-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम दुमनी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	दुमनी	0.229	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हैक्ट.में)	प्रभावित रकबा हैक्ट. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	कलाबाई बेवा धनसिंह सुरेंद्रसिंह राजेंद्रसिंह पिता धनसिंह संतोषबाई संगीताबाई मीराबाई पिता धनसिंह जाति राजपुत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/1/4	1.267	0.023	सिंचित
2	रतनलाल पिता भुरालाल जाति खाती पता मगरखेडी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106/3	1.301	0.141	सिंचित
3	सुरेश पिता मोहनलाल जाति भामी पता दुमणी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106/2	1.301	0.056	सिंचित
4	संजय बुखार पिता घनश्याम पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106/1	0.930	0.009	सिंचित
कुल रकबा				0.229	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1763-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0003-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बीबीखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	बीबीखेडी	5.089	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सियाराम पिता आत्माराम जाति भोई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166	1.408	0.246	सिंचित
2	दिलिप पिता गब्बाजी सायरबाई बेवा गब्बाजी जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	230/1	2.302	1.183	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.मै)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
3	सत्यनारायणर विकला बाईअम्रता बाई कृष्णा बाई अर्चनाबाई पूमचन्द शारदा बाई बेवा लक्ष्मीनारायण महिमा तनु मिताली पिता लक्ष्मी नारायण अज्ञान पालन कर्ता शारदाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर म.प्र. भूमि स्वामी	230/3	0.506	0.097	सिंचित
4	शंकर पिता प्रताप जाति कीर पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	231	0.474	0.104	सिंचित
5	मेहरबानसिंह पिता मूलचन्द जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	240/1	3.289	0.315	सिंचित
6	सीताराम पिता मूलचन्द जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	240/2/1	0.235	0.109	व्यवसायिक
7	मेहरबान सिंह पिता मूलचंद जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	240/2/2	0.235	0.075	व्यवसायिक
8	सेवसिंह, पार्वतीबाई, सुगनबाई, सुमित्राबाई, हीराबाई, गुडडीबाई पिता सुखराम, राजूबाई पति रतनसिंह, गोकुल, अरुण पिता रतनसिंह पता बीबीखेडी सांवेर भूमि स्वामी	239/1/1	0.449	0.336	सिंचित
9	राहुल पिता सीताराम जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	239/1/2	0.253	0.164	व्यवसायिक
10	राहुल पिता सीताराम जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	239/2	0.702	0.012	सिंचित
11	राजेंद्र पिता चन्दरसिंह जाति गारी पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	238	0.951	0.311	सिंचित
12	राधेश्याम पिता जगन्नाथ अमृतबाई पति राधेश्याम जाति कलोता पता रतनखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	233/1	0.749	0.236	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
13	मदन पिता रामकिशन जाति कलौता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	237	1.360	0.439	सिंचित
14	विष्णु पिता राधेश्याम जाति कलौता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	235/2/2	0.380	0.066	सिंचित
15	मदन पिता रामकिशन जाति कलौता पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	236	1.558	0.467	सिंचित
16	रतनबाई पति बुध्दीलाल जाति बलाई पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/2/3	1.771	0.814	सिंचित
17	विक्रम पिता बुध्दीलाल जाति क पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220/2/1	0.207	0.003	सिंचित
18	सेवा माता खाता कोटवारा पता बीबीखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	249/2	0.592	0.112	सिंचित
कुल रकबा				5.089	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1761-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0004-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम चितौड़ा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	चितौड़ा	6.477	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	विष्णु पिता जालमसिंह जाति बलाई पता चितौड़ा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय	1/2	0.680	0.264	सिंचित
2	मदनलाल पिता लक्ष्मीनारायण हरिकलाबाई पति मदनलाल जाति पटेल पता चितौड़ा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/1/1/1	1.265	0.451	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मं)	प्रभावित रकबा हे. मं	अर्जित भूमि का प्रकार
3	जशवंतसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	4/2	1.898	0.076	सिंचित
4	संजय मोनू पिता राधेश्याम पता इन्दौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बहादुरसिंह पिता बापूसिंह पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/1/2	3.177	0.943	सिंचित
5	विक्रम, जैराम, बनेसिंह, मुकेश पिता पर्वत जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/4	1.011	0.545	सिंचित
6	बाबूलाल पिता काशीराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/1	2.194	0.131	सिंचित
7	सुरेशचंद्र पिता काशीराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1/1	0.379	0.152	सिंचित
8	मायाबाई पति भगवानसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	11/1/2	0.432	0.290	सिंचित
9	मायाबाई पति भगवानसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	14/1	1.725	0.909	सिंचित
10	श्री मारुती मंदिर मेतेजर कलेक्टर महोदय पिता इंदोर पता चिंतोडा सांवेर भूमि स्वामी	16	1.886	0.332	सिंचित
11	सरदारसिंह पिता रामचन्द्र जाति गारी पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/3	1.313	0.001	सिंचित
12	लक्ष्मणसिंह पिता शिवसिंह गंगाबाई बेवा शिवसिंह गजेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह रेखाबाई पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18	2.436	0.419	सिंचित
13	शांताबाई बेवा बाबूलाल सुरेश रेखा पिता बाबूलाल जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/10/2	0.188	0.007	सिंचित
14	छोगालाल पिता नंदराम जाति बलाई पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/10/3	1.391	1.124	सिंचित
15	महेन्द्रसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/2	0.761	0.319	सिंचित
16	राजाराम पिता दयाराम बलाई सा.देह सेवा खातेदार	31/2	4.047	0.444	सिंचित
17	राजाराम पिता छोगालाल जाति चमार पता चिंतोडा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासकीय संस्था	30	0.951	0.070	सिंचित
कुल रकबा				6.477	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1745-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0005-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रतनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	रतनखेड़ी	10.372	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	केशरसिंह पिता दौलतसिंह	55	0.474	0.039	सिंचित
2	भारत पिता गंगाराम कलौता	57	1.287	0.515	सिंचित
3	कैलाश पिता केशरसिंह	51/1	1.469	0.127	सिंचित
4	प्रहलाद पिता केशरसिंह	51/2	1.469	0.795	सिंचित
5	मंजूबाई बेवा छतरसिंह आशीष कल्पना पिता छतरसिंह	50	1.173	0.429	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
6	कैलाश कांताबाई भूरीबाई पिता उमराव सिंह फुन्दाबाई पिता रतनसिंह रामचरण श्रीराम कलाबाई मुन्नीबाई पिता रतनसिंह बाबूसिंह पिता हिरासिंह रतनसिंह पिता लालसिंह कमल दिनेश पिता शंकरलाल अमृतबाई बेवा शंकरलाल	45/4/2	0.012	0.012	सिंचित
7	शंकरलाल पिता जगन्नाथ	45/4/1	0.482	0.035	सिंचित
8	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्रीमान कलेक्टर महोदय इंदौर	49	1.955	1.093	सिंचित
9	कमलाबाई बेवा नारायणसिंह श्यामाबाई पिता नारायणसिंह मंजूबाई बेवा छतरसिंह आशीष कल्पना पिता छतरसिंह जाति कलोता	48	1.433	0.430	सिंचित
10	शंकर पिता देवीसिंह	61	2.287	0.203	सिंचित
11	दसरत पिता धारासिंह पता रतनखेडी सांवेर	222/3	0.235	0.184	सिंचित
12	राधेश्याम पिता रतनसिंह पता रतनखेडी सांवेर	222/2/1	0.146	0.011	सिंचित
13	राधेश्याम पिता रतनसिंह पता रतनखेडी सांवेर	222/2/2	0.319	0.229	सिंचित
14	सायनबाई पति कालूसिंह पता रतनखेडी सांवेर	221/2	0.506	0.162	सिंचित
15	कैलाश पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर	229/3	0.405	0.052	सिंचित
16	भगवान सिंह जगदीश सुभाष पिता पिरा गिताबाई पिता पिरा लाखनसिंह पिता गणेश चन्द्रकलाबाई पति गणेश शैतानबाई बेवा शंकर जाति कलोता पता रतनखेडी सांवेर	230	0.967	0.126	सिंचित
17	शारदाबाई पति सुभाष जाति कलोता पता रतनखेडी	334	0.397	0.345	सिंचित
18	शारदाबाई पति सुभाष सोनगरा जाति कलोता पता रतनखेडी	333	0.295	0.248	सिंचित
19	कैलाश पिता केशरसिंह पता रतनखेडी सांवेर	330/1/1	0.425	0.002	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
20	प्रहलादसिंह पिता केशरसिंह पता रतनखेड़ी सांवेर	330/1/2	0.165	0.010	सिंचित
21	भेरूसिंह पिता दोलसिंह पता रतनखेड़ी सांवेर	330/2	1.082	0.055	सिंचित
22	कमलाबाई बेवा सीताराम किस्मत पिता सीताराम जाति कलोतापता रतनखेड़ी	341	0.227	0.192	सिंचित
23	कमलाबाई बेवा सीताराम किस्मत पिता सीताराम जाति कलोतापता रतनखेड़ी	340	0.219	0.004	सिंचित
24	ज्ञानसिंह, आशाबाई, चिन्ताबाई पिता हेमसिंह	342/2	0.769	0.264	सिंचित
25	केशरसिंह पिता दौलतसिंह पता रतनखेड़ी	332/2	0.016	0.016	सिंचित
26	साबुबाई पति भेरूसिंह जाति कलोता पता रतनखेड़ी	331	0.356	0.057	सिंचित
27	मांगीलाल भगवानसिंह मेहरबानसिंह पिता जगन्नाथ संतोषबाई शान्ताबाई रमुबाई मन्नुबाई दुर्गाबाई पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता सा देह सांवेर	327	0.753	0.127	सिंचित
28	घीसा पिता पदमा पता सांवेर	324/1	1.594	0.842	सिंचित
29	मायाबाई पति सुनेरसिंह विनोद पूजाबाई पिता सुनेरसिंह	325	1.230	0.002	सिंचित
30	कैलाश पिता ओंकारसिंह पता रतनखेड़ी	322	0.344	0.048	सिंचित
31	भगवानसिंह पिता पिराजी जाति कलोता पता रतनखेड़ी	400	2.934	0.735	सिंचित
32	मायाबाई पति सुनेरसिंह विनोद पूजाबाई पता सुनेरसिंह	401	0.539	0.427	सिंचित
33	भगवानसिंह पिता पिराजी जाति कलोता पता रतनखेड़ी	402	0.324	0.029	सिंचित
34	कनीराम पिता घिसा पता सा देह सांवेर	403/1	0.965	0.360	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रमाणित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
35	दरयावसिंह पिता ठाकरसिंह जाति कलोता	403/2	0.966	0.243	सिंचित
36	रामगेणापितबलीराम मोहनलालउत्तमसिंह सागरबाई पिता बलीराम पता रतनखेडी	414/2	0.520	0.058	सिंचित
37	परमानंद पिता शिवसिंह जाति कलोता	417/2	1.307	0.476	सिंचित
38	भेरूसिंह पिता दोलेसिंह जाति कलोता पता रतनखेडी सांवेर	416	0.757	0.454	सिंचित
39	दिनेशदास पिता कालूदास जाति बरौगी	415/1/2	0.267	0.033	सिंचित
40	बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह पता रतनखेडी सांवेर	418/1/2	0.951	0.472	सिंचित
41	राधाबाई पति सौदानसिंह चावड़ा जाति राजपूत/सुमित्राबाई पति शेरसिंह चावड़ा जाति राजपूत	418/2	0.951	0.431	सिंचित
कुल रकबा				10.372	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1767-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0006-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्डड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बलधारा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	बलधारा	9.983	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	जमना बाई बैवा तेजराम जितेन्द्र ईश्वर पिता तेजराम जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/1	2.367	0.231	सिंचित
2	पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/2	0.980	0.664	सिंचित
3	पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/4	0.979	0.012	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	पिंकीबाई पति पप्पू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/5	0.875	0.291	सिंचित
5	रेशमबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/3/1	0.506	0.013	सिंचित
6	परमानंद पिता गंगाराम जाति खाती पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/3/2	0.696	0.363	सिंचित
7	जीवन पिता लक्ष्मीनारायण रेशमबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/4	2.403	1.107	सिंचित
8	केदार पिता रणछोड जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/5	3.086	0.748	सिंचित
9	फिरोज पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/1	1.695	0.112	सिंचित
10	फिरोज पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/2	0.506	0.483	व्यवसायिक
11	शोहेब पिता फिरोज जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/1	4.502	0.132	सिंचित
12	शोहेब पिता फिरोज जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2	0.759	0.717	व्यावसायिक
13	कृष्णाबाई पति परसराम जाति खाती पता बिजलपूर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	100/3	0.700	0.185	सिंचित
14	अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99	0.445	0.002	सिंचित
15	अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/1	1.533	0.082	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.में)	प्रस्तावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
16	अरबअली पिता मुंशी जाति नायता पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2	1.012	0.838	व्यावसायिक
17	अखिलेश पिता भगवान जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/2/1	0.778	0.296	सिंचित
18	कला बाई पिता मेहरबान सिंह कमलेश, जितेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह जाति राजपुत पता खलखला सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	108	2.760	0.541	सिंचित
19	संतोष पिता सुखराम जाति खाती पता बलधारा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	109/1/1	2.283	0.786	सिंचित
20	मोहनलाल पिता रामरतन जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	109/2/1/1	1.182	0.288	सिंचित
21	संजय विनोद पिता हरिराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	109/2/2	2.333	0.969	सिंचित
22	सम्पतबाई बेवा उमराव, कैलाश, रेशमबाई, बरजूबाई, राजूबाई पिता उमराव जाति खाती पता अजनोद इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	109/3	1.683	0.004	सिंचित
23	औंकार पिता बापू जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/1/1	1.481	0.064	सिंचित
24	समंदबाई पति भेरुसिंह जाति गारी पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/2	1.262	0.858	सिंचित
25	भेरुसिंह पिता हिरालाल जाति गारी पता रंगकराडिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106/2	2.557	0.197	सिंचित
कुल रकबा				9.983	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1765-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0007-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम बालरिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	बालरिया	13.426	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	76/1	1.234	0.456	सिंचित
2	सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	76/2	1.234	0.413	सिंचित
3	हिरानाथ पिता नानुनाथ पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	38/5	0.632	0.265	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
4	सोना पतिशेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/4	0.862	0.287	सिंचित
5	पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/3	0.842	0.020	सिंचित
6	ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/1/2	1.265	0.586	सिंचित
7	पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/1/3	0.555	0.067	सिंचित
8	ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/1/1	2.024	0.865	सिंचित
9	सोना पतिशेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/3	0.862	0.188	सिंचित
10	सोना पतिशेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/2	0.866	0.014	सिंचित
11	सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	94	1.461	0.035	सिंचित
12	मानसिंह पिता जगदीश कुमावत जाति कुमावत पता तहसील सांवेर, जि. इन्दौर, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95	0.802	0.408	सिंचित
13	ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	93/1	0.890	0.575	सिंचित
14	ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	96	0.910	0.139	सिंचित
15	अजोदिया बाई बेवा लक्ष्मण पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	100/1	0.526	0.033	सिंचित
16	अन्तरसिंह पिता भेरा पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	100/2	0.526	0.185	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
17	राधेश्याम पिता नागुजी जाति गारी पता जैतपुरा तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/2	0.202	0.002	सिंचित
18	रामकलाबाई पति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	159/1	1.881	0.561	सिंचित
19	रामकलाबाई पति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	159/2	1.882	0.494	सिंचित
20	बालमुकुन्द पिता भगवानकुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	158	3.076	0.707	सिंचित
21	मांगूबाई बेवा सदाशिव अभिषेक, पूजा, निकिता, मोना पिता सदाशिव जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/1/1	0.567	0.340	सिंचित
22	राजेश पिता नरेंद्रकुमार खंडेलवाल मुकेश पिता कैलाश चंद्रगुप्ता पता चन्द्रवतीगंज सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/2/1	0.667	0.290	सिंचित
23	अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/2/4	0.668	0.348	सिंचित
24	अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/1/3	0.587	0.080	सिंचित
25	मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/1	0.959	0.011	सिंचित
26	मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	174/1	0.295	0.002	सिंचित
27	मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	174/3	0.012	0.002	सिंचित
28	मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	172/1/1	0.331	0.026	सिंचित
29	रतनबाई तेजराम इन्दरलाल सुभाषचन्द्र पिता तेजराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/1	0.378	0.003	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
30	मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/2	0.379	0.319	सिंचित
31	अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182	1.546	0.558	सिंचित
32	मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186/1	1.922	0.959	सिंचित
33	मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	184/1	0.512	0.162	सिंचित
34	मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/1	0.749	0.359	सिंचित
35	रामकिशन पिता सिध्दनाथ जाति खाती पता पिपीलियहाना सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	189/2	2.559	0.130	सिंचित
36	मागीलाल पिता पुनाम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	190/2	0.517	0.315	सिंचित
37	दुन्नानाथ पिता बापुनाथ पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	190/3	0.517	0.087	सिंचित
38	अनिल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	191/2	1.769	0.241	सिंचित
39	रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	193/465	0.672	0.040	सिंचित
40	सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/2/2/2	0.506	0.030	सिंचित
41	द्वारका पिता शंकरलाल जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/2/2/1/2	1.012	0.070	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
42	ईश्वर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	192/2/2/1/1/3	1.518	0.177	सिंचित
43	लीलाबाई पति निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	192/2/2/1/1/2	1.476	0.238	सिंचित
44	निर्भयसिंह पिता धुलजी जाति भेणा पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	192/2/2/1/1/1	1.475	0.315	सिंचित
45	गिरवर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/2/2/1/1/4	1.518	0.274	सिंचित
46	शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	193/1/1	0.622	0.145	सिंचित
47	रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	193/1/2	1.46	0.272	सिंचित
48	रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	193/2	1.41	0.233	सिंचित
49	शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	195/4	0.813	0.813	सिंचित
50	शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	195/3	1.623	0.243	सिंचित
51	सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	192/2/1	1.265	0.044	सिंचित
कुल रकबा				13.426	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1749-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0008-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम रालामण्डल की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	रालामण्डल	9.426	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	रेखाबाई पति नंदकिशोर उर्फ वृन्दावन जाति खाती पता मोरुखेडी तेह देवास, इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/2	0.761	0.089	सिंचित
2	द्रोपतीबाई पति रेखाबाई पिता सिद्धनाथ जाति खाती पता रालामण्डल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/1	1.602	0.393	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
3	रेखाबाई पति वृन्दावन जाति खाती पता नि मोरुखेडी तेह. देवास, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2	0.761	0.347	सिंचित
4	ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/3	1.598	0.234	सिंचित
5	रामकुवरबाई पति ईश्वरलाल जाति खाती पता पिपल्याहाना इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/4	1.598	0.295	सिंचित
6	ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/5	1.598	0.403	सिंचित
7	ईश्वर पिता छगनलाल जतनबाई पति छगनलाल छगन पिता नगजी जाति गारी पता गारी पिपलिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/1	0.791	0.113	सिंचित
8	रमेशचंद्र पिता ओंकार जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1	2.277	0.449	सिंचित
9	लीलाधर पिता ओंकार पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/2	1.637	0.171	सिंचित
10	संतोष पिता ओंकार पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/3	0.300	0.258	सिंचित
11	नगजीराम पिता ओंकार पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/4	1.509	0.204	सिंचित
12	संतोष पिता ओंकार पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/2	0.847	0.296	सिंचित
13	उमेश रीना सपना किरण पिता रणछोड़ पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/4	0.805	0.320	सिंचित
14	कन्हैयालाल प्रहलाद पिता बसंतीलाल भागवंताबाई बेवा बसंतीलाल जाति खाती पता शिवुखेड़ा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/9	0.950	0.131	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
15	कन्हैयालाल पिता बसंतीलाल अपाक भागताबाई पति बसंतीलाल जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/7	0.441	0.321	सिंचित
16	गोपाल पिता छगनलाल जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर, मध्य प्रदेश इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22	3.043	0.120	सिंचित
17	जतनबाई पिता छगनलाल कचनबाई बेवा नगाजी जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/3	2.550	0.106	सिंचित
18	कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/6	0.894	0.775	सिंचित
19	कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/5	0.894	0.102	सिंचित
20	कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/8	0.689	0.003	सिंचित
21	जतनबाई पिता छगनलाल कचनबाई बेवा नगाजी जाति गारी पता पिपल्या इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/7	0.025	0.015	सिंचित
22	कमलाबाई पति बलराम जाति गारी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/3/2	0.129	0.010	सिंचित
23	केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/3/1	0.179	0.151	सिंचित
24	केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/1	0.619	0.155	सिंचित
25	केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2/2	0.846	0.223	सिंचित
26	केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/3	0.619	0.266	सिंचित
27	केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/4	0.623	0.372	सिंचित
28	केदार पिता जयराम जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/7	1.767	0.216	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
29	राधेश्याम पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/3/1	0.450	0.155	सिंचित
30	राजमल पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/3/2	0.270	0.270	सिंचित
31	सरजुबाई बेवा नन्दकिशोर 1/3, सुरेश पिता नन्दकिशोर 1/3, भेरूलाल पिता नन्दकिशोर 1/3, जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/3/3	0.270	0.270	सिंचित
32	घनश्याम पिता अम्बाराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/3/4	0.506	0.085	सिंचित
33	रामेश्वर पिता तुलसीराम जाति दर्जी पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/4/2	1.023	0.043	सिंचित
34	महेशचंद्र पिता बाबूलाल पटेल पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1/1	0.443	0.304	सिंचित
35	मुन्नीबाई पति चतुर्भुज पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1/2	0.442	0.318	सिंचित
36	सौरमबाई पति बाबूलाल मुन्नीबाई पति चतुर्भुज पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/3	0.141	0.042	सिंचित
37	शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34	0.862	0.139	सिंचित
38	सौरमबाई पति अम्बारामजी जाति खाती पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37	0.910	0.782	सिंचित
39	शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/1	0.336	0.061	सिंचित
40	शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/2	0.328	0.328	सिंचित
41	उमराव पिता भागीरथबलाई अहस्तांतरणीय जाति बलाई पता रालामंडल सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	229/5	0.692	0.073	सिंचित
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
42	शिवजीराज पिता भेराजी जाति खाती पता निहालपुरा इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36	1.052	0.018	सिंचित
कुल रकबा				9.426	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1769-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0009-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम मगरखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	मगरखेड़ी	10.971	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर (म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	संतोष पिता भागीरथ पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	100/2	0.818	0.203	सिंचित
2	सुरेशचंद्र पिता मोहनलाल पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	92/1	2.497	1.002	सिंचित
3	घनश्याम पिता मोहनलाल पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	92/2	2.497	0.646	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	प्रहलाद पिता भगीरथ जाति भामी पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहरस्तांतरणीय शासकीय पटटेदार	69/1/1	1.000	0.225	सिंचित
5	गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/3	0.890	0.164	सिंचित
6	गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2/1	0.463	0.132	सिंचित
7	गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/2/2	1.075	0.248	सिंचित
8	गोपालसिंह पिता करणसिंह करणसिंह पिता बलवंतसिंह पता लसूड़िया मोरी इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	89/1	1.501	0.576	सिंचित
9	इन्दरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/1	4.229	0.714	सिंचित
10	लक्ष्मीबाई बेवा जसवंतसिंह भगवानसिंह धर्मेन्द्रसिंह जीवनसिंह पिता जसवंतसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/4	1.740	0.076	सिंचित
11	लाखनसिंह पिता भुवानसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/244	0.219	0.083	सिंचित
12	मानकुवरबाई पति दिलीपसिंह रसीमाबाई कोमलबाई नितु कुवर रेखाबाई टीनाबाई पिता दिलीपसिंह जाति राजपुत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73/2/1	0.600	0.013	सिंचित
13	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/3	0.947	0.304	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे. में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
14	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/2	0.947	0.390	सिंचित
15	महेन्द्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67/1	0.947	0.650	सिंचित
16	सुरेसिंह पिता रामदत्तसिंह पंवार जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/6	0.506	0.021	सिंचित
17	महेन्द्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	64/3	0.405	0.167	सिंचित
18	महेन्द्र पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	64/2	0.405	0.070	सिंचित
19	मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/14	0.241	0.116	सिंचित
20	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/12	0.594	0.097	सिंचित
21	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/11	0.594	0.007	सिंचित
22	शेरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/2/1	0.223	0.085	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
23	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/2/2	0.036	0.005	सिंचित
24	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/17	0.252	0.138	सिंचित
25	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/8	0.253	0.134	सिंचित
26	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/16/2	0.152	0.083	सिंचित
27	मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/15	0.253	0.041	सिंचित
28	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/7/1	0.405	0.283	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
29	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/7/2	0.405	0.142	सिंचित
30	रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकलाबाई बेवा नंदकिशोर हरिनारायण लखन जितेन्द्र पिता नंदकिशोर जाति खाती पता बिजलपुर राऊ इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68/1	1.056	0.056	सिंचित
31	मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70	1.651	0.396	सिंचित
32	मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75/1	0.405	0.030	सिंचित
33	इन्दर बाई बेवा मोड़ सिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75/2	1.922	0.269	सिंचित
34	मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	75/3	0.587	0.050	सिंचित
35	तरबाई बेवा भुवानसिंह लाखनसिंह पिता भुवानसिंह मधुबाई ललिताबाई पिता भुवानसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71	1.688	0.713	सिंचित
36	मेहरबान सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72	0.930	0.499	सिंचित
37	लक्ष्मणसिंह पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/1/1/2	0.148	0.036	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
38	लक्ष्मणसिंह पिता सुरेसिंह पंवार जाति राजपूत पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32/1/2	0.151	0.094	सिंचित
39	दीपराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/2/1/1	1.623	0.123	सिंचित
40	युवराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/2/1/2	0.188	0.188	सिंचित
41	युवराजसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता मालाखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	29/2/2	0.969	0.339	सिंचित
42	महीपालसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गोकुलसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3	5.031	0.737	सिंचित
43	रेखाबाई बेवा सुमेरसिंह संदीप, अरुण पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/248/2	0.223	0.012	सिंचित
44	रेखाबाई बेवा सुमेरसिंह संदीप, अरुण पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/2	2.693	0.023	सिंचित
45	इन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता मगरखेड़ी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/1	1.566	0.591	सिंचित
कुल रकबा				10.971	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1757-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0011-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम कछालिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6 =
इन्दौर	सांवेर	कछालिया	10.557	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	बद्री, रमेश पिता भागीरथ जाति खाती पता निवासी ग्राम सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66	1.910	0.850	सिंचित
2	रामप्रसाद, कांतिलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता अजनोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	67	1.540	0.630	सिंचित
3	सुशीलाबाई पति विष्णु पटेल निलेश पिता रणजीत पटेल पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	82/1	0.430	0.022	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
4	जशरथ पिता सिताराम जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83/1	1.050	0.155	सिंचित
5	रेखाबाई पति देवकरण जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83/2	0.420	0.165	सिंचित
6	जुलेशा पति कुदरत जाति नायता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	83/3	0.620	0.010	सिंचित
7	आरिफ पिता जाकिर पटेल जाति नायता पता सादेह सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84	0.630	0.490	व्यवसायिक
8	रमेश पिता भागीरथ जाति खाती पता तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85	0.630	0.095	सिंचित
9	नगजीराम पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	86/2	1.130	0.128	सिंचित
10	सत्यनारायण पिता कालु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9	1.200	0.010	सिंचित
11	सत्यनारायण पिता कालु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10	1.220	0.455	सिंचित
12	बाबुलाल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/1	1.390	0.306	सिंचित
13	मोनू पिता प्रहलाद चौधरी पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/2	1.220	0.430	सिंचित
14	शान्तीबाई बेवा रणछोड केलाश प्रहलाद पिता रणछोड पवित्राबाई पति विष्णु बबीता पिता विष्णु जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23	1.200	0.300	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
15	विनोद पिता औंकारलाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/2	1.250	0.240	सिंचित
16	बुखार पिता भैराजी जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/1	0.210	0.145	सिंचित
17	सुभाष पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/2/1	0.940	0.325	सिंचित
18	देवकरण पिता बुखार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/2/2	0.100	0.085	सिंचित
19	हुकुमचंद पिता औंकारलाल चौधरी जाति खाती पता निरंजन पूर इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/3	0.110	0.110	सिंचित
20	हुकुमचंद पिता औंकारलाल जाति खाती पता निरंजन पूर इंदौर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/4	0.100	0.095	सिंचित
21	श्रीराम पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता सा देह सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	26	2.370	0.520	सिंचित
22	जगदीशचंद्र शंकर पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/7 34/8	1.030	0.005	सिंचित
23	संजय पिता रमेशचन्द्र दयाल पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38	1.150	0.185	सिंचित
24	रमेश पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37	1.700	0.535	सिंचित
25	विष्णु, शंकरलाल, कांताबाई, राजूबाई, प्रेमबाई पिता पन्नालाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	48	0.420	0.290	सिंचित
26	रमेश पिता छोगालाल जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49	0.950	0.367	सिंचित
27	शंकरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45	2.840	0.095	सिंचित
28	जगदीशचंद्र पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55/4	0.820	0.225	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
29	शंकरलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	55/5	0.820	0.190	सिंचित
30	सुमित पटेल पिता विक्रम पटेल पता कछालिया इन्दौर म. प्र. भूमि स्वामी	53/1/2	0.220	0.058	सिंचित
31	राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	53/2	0.430	0.278	सिंचित
32	राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/1	0.430	0.277	सिंचित
33	राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	54/2	0.430	0.225	सिंचित
34	गब्बु पिता रामाजी जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56	0.860	0.232	सिंचित
35	राजेश पिता रामकिशन जाति कलौता पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57	0.860	0.032	सिंचित
36	विक्रम पिता लीलाधर जाति खाती पता सा देह कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	844/3	1.290	0.550	सिंचित
37	नन्दकिशोर पिता लीलाधर जाति खाती पता सा देह सांवेर कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	844/4	1.290	0.617	सिंचित
38	राजेश पिता मोंगीलाल कलाबाई बेवा मोंगीलाल विष्णु पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता सा देह सांवेर सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	846	1.280	0.160	सिंचित
39	मुकेश, सुनिल, अजिल, अशोक पिता श्रीराम राजुबाई बेवा श्रीराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	848	0.420	0.012	सिंचित
40	प्रभुलाल, प्रकाश पिता शिवजीराम जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी निर्मला पति केदार नीलेश, आशीष पिता केदार जाति खाती पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	849	0.430	0.390	सिंचित
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
41	तेजराम पिता देवीसिंह गिताबाई पति तेजराम पता कछालिया सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	489/1660	0.500	0.268	सिंचित
कुल रकबा				10.557	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1759-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0013-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम हरियाखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	हरियाखेडी	8.777	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सजनसिंह पिता बनेसिंह अलकाबाई बेवा इंदरसिंह मंगलसिंह सचिन गौरीबाई पिता इंदरसिंह जयपाल पिता जागनसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/1	2.728	1.016	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
2	सजनसिंह पिता बनेसिंह अलकाबाई बेवा इंदरसिंह मंगलसिंह सचिन गौरीबाई पिता इंदरसिंह जयपाल पिता जागनसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/1	1.000	0.058	सिंचित
3	राजेन्द्रसिंह पिता समंदरसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	136	0.902	0.631	सिंचित
4	विजय पिता कमलसिंह विरेन्द्र पिता कमलसिंह अ पा कर्ता यशोदाबाई बेवा कमलसिंह व यशोदाबाई बेवा कमलसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	137/1	0.506	0.026	सिंचित
5	बंकाबाई पति समंदरसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	135	1.480	0.008	सिंचित
6	राजेन्द्रसिंह पिता समंदरसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	134/3	3.162	0.976	सिंचित
7	बालू रामचंद्र रमेश भागुबाई मानुबाई पिता हिरा जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	148/1/1	0.383	0.183	सिंचित
8	बालू रामचंद्र रमेश भागुबाई मानुबाई पिता हिरा जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	148/1/2	0.383	0.272	सिंचित
9	श्यामूबाई बेवा बाबूसिंह, राजेश, धीरज सिंह, प्रतिभा पिता बाबूसिंह राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	150/1	3.237	0.821	सिंचित
10	धिरजसिंह राजेशसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	150/2	4.047	0.218	सिंचित
11	सुनेरसिंह राकेशसिंह हेमसिंह पिता पोपसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/2	8.326	0.670	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
12	रमेशचन्द्र पिता मोहनलाल पदमबाई पति रमेशचन्द्र जाति बलाई पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	163/2	1.191	0.668	सिंचित
13	मनोहरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/1	7.060	0.498	सिंचित
14	हाकमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/2/2	0.506	0.277	सिंचित
15	प्रकाशबाई पति इन्दरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166	0.947	0.558	सिंचित
16	पवित्राबाई पति पति लक्ष्मणसिंह देवराजसिंह दुर्गा पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117/2/2	1.771	0.570	सिंचित
17	राजकुंवरबाई पति आँकारसिंह राजूबाई पति मदनसिंह सन्तोषबाई पति इन्दरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	170/2/2	1.265	0.974	सिंचित
18	रामचंद्र पिता नानूराम ताराबाई बेवा सुखराम दारासिंह चंदाबाई पिता सुखराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश 1 भाग शासकीय पट्टेदार	130/2	0.650	0.353	सिंचित
कुल रकबा				8.777	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1753-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0015-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि-संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्डड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम पिपल्या कायस्थ की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।—

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	पिपल्या कायस्थ	6.487	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्डड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	शांताबाई बेवा अम्बाराम किशोर अशोक मोहन मुन्नालाल मीराबाई पिता अम्बाराम जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14/2/1	2.558	0.580	सिंचित
2	ओमप्रकाश गोवर्धन बट्टीप्रसाद शकुंतलाबाई पिता आत्माराम जाति कुम्हार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	14/2/2	2.557	0.237	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
3	सन्तोष पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/1	1.152	0.009	सिंचित
4	चतुर्भुज पिता सुभाष जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/4	1.151	0.040	सिंचित
5	हरिसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत पता हरियाखेडी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/3	1.159	0.130	सिंचित
6	भुलीबाई पति चन्दर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/1	0.131	0.131	सिंचित
7	बनेसिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/2	0.241	0.241	सिंचित
8	हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/1/2	0.300	0.002	सिंचित
9	भुलीबाई पति चन्दर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/1/1	0.045	0.001	सिंचित
10	शन्कर पिता कासीराम जाति अहिर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1	0.387	0.059	सिंचित
11	महेश दशरथ राधाबाई पप्पीबाई पिता सदाशिव जाति अहीर पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/2	0.200	0.122	सिंचित
12	चंदर वरसी पिता रामाजी पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/3/3	0.272	0.264	सिंचित
13	भुलीबाई पति रामचन्द्र जाति चमार पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	12/3/2	0.273	0.069	सिंचित
14	सुरेश सिंह ठाकुर पिता केशर सिंह ठाकुर राजूबाई बैवा रमेश जाति राजपूत पता पिपल्या कायस्थ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	158/2	1.491	0.718	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
15	रामप्रसाद पिता मांगीलाल पता पिपल्या कायस्थ सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	158/3	0.127	0.039	सिंचित
16	सन्दीप पिता सन्तोष जाति खाती पता पिपल्या कायस्थ सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157	1.979	0.269	सिंचित
17	हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	159/3/1	0.270	0.189	सिंचित
18	हज्जानी अमनाबी पति हाजी इब्राहिम जाति मुसलमान पता पिपल्या कायस्थ सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	159/5/5	0.680	0.492	सिंचित
19	शुभम सिंह पवार पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161	0.773	0.334	सिंचित
20	शुभम सिंह पवार पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	162	1.465	0.599	सिंचित
21	शुभम सिंह पवार पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	163	0.360	0.102	सिंचित
22	शुभम सिंह पवार पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	164	0.158	0.113	सिंचित
23	शुभम सिंह पवार पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165	0.304	0.196	सिंचित
24	दीप्तांश पिता संजय परमार अ पा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166	0.109	0.020	सिंचित
25	दीप्तांश पिता संजय परमार अ पा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	167	0.599	0.416	सिंचित
26	दीप्तांश पिता संजय परमार अ पा कर्ता दीपा पति संजय परमार जाति बलाई पता बिबिखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168	0.129	0.129	सिंचित
27	शुभम सिंह पवार पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता हरियाखेड़ी इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	169	0.628	0.294	सिंचित
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
28	लाखनसिंह बम्नोत्तर पुत्र प्रेमसिंह बम्नोत्तर पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	172	0.320	0.031	सिंचित
29	संजय पिता उमरावसिंह जाति बलाई पता पिपल्या कायस्थ सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	171/2	0.446	0.083	सिंचित
30	सतीश पिता औमप्रकाश पंचोली जाति कायत पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/1	0.284	0.192	सिंचित
31	सतीश पिता औमप्रकाश पंचोली जाति कायत पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2/1	0.144	0.061	सिंचित
32	शारदाबाई बेवा अम्बाराम अनिल सुनिल सुनिता पिता अम्बाराम विक्रमसिंह पिता रामसिंह सुगनबाई बेवा रामसिंह जाति अहीर पता सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/2/2	0.143	0.053	सिंचित
33	आत्माराम करणसिंह पिता बापू जाति गारी पता पिपल्या कायस्थ सावेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	173/3	0.287	0.272	सिंचित
कुल				6.487	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद् व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सावेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1755-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0016-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम खतेडिया बज्जात की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	खतेडिया बज्जात	7.941	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सेवा भूमि ग्राम कोटवार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार अहास्तांतरणीय	325/2	0.405	0.212	सिंचित
2	प्रभुलाल प्रकाश पिता शिवजीराम व निर्मला बेवा केदार निलेश आशीष पिता केदार जाति खाती	326/1	2.083	0.806	सिंचित
3	नवाब खा पिता बसीर खा रफीक खा पिता नवाब खा	326/2/3	0.324	0.128	सिंचित
4	रफीकखा पिता नवाब खा पता वार्ड नं 05	326/2/2	0.37	0.001	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
5	पदमसिंह चौधरी पिता बापूजी चौधरी पता इंदौर	329/2	0.178	0.088	सिंचित
6	जगन्नाथ पिता धान्नालाल जाति बलाई पता खतेडिया	330	0.235	0.042	सिंचित
7	गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया	331/1	1.541	1.037	सिंचित
8	बिसमिल्ला बाई पति उस्मान जाति नायता पता खतेडिया	331/2/1	0.633	0.055	सिंचित
9	सुलेमान पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया	332/2/3	0.607	0.001	सिंचित
10	सुलेमान पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया	338/1	1.235	0.016	सिंचित
11	सिकंदर पिता इमामी जाति नायता पता खतेडिया	338/2	1.841	0.196	सिंचित
12	शैजाद पति मुंशी, फारुख, रईस पिता मुंशी जाति नायता पता खतेडिया	346/1	0.617	0.129	सिंचित
13	गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया	346/2	0.253	0.174	सिंचित
14	मुबारिक पटेल पिता अब्बास पटेल पता इंदौर	347	0.073	0.073	सिंचित
15	मुबारिक पिता अब्बास आशिक पिता अब्बास सेराजबाई बेबा अब्बास जाति नायता पता सांवेर	348/1	0.058	0.058	सिंचित
16	जमिलाबाई बेबा सरदार शेखर मकसूद पिता सरदार जाति नायता पता सांवेर	348/2	0.059	0.052	सिंचित
17	गफफार पिता सुभान जब्बार पिता सुभान जाति नायता पता खतेडिया	349/1	0.355	0.002	सिंचित
18	इकबाल पिता हिरा कडवीबाई सेजादबाई पिता हिरा जाति नायता पता खतेडिया	343/1	0.777	0.110	सिंचित
19	मुबारिक पिता अब्बास आशिक पिता अब्बास सेराजबाई बेबा अब्बास जाति नायता पता सांवेर	354/1	0.496	0.295	सिंचित
20	जमिलाबाई बेबा सरदार शेखर मकसूद पिता सरदार जाति नायता	354/2	0.496	0.136	सिंचित
21	कमाल पिता नगजी जाति नायता पता खतेडिया	353/1/1	1.420	0.715	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
22	नोसाद पिता नगजी जाति नायता पता खतेडिया	353/1/2	1.421	0.381	सिंचित
23	रशीद पिता रफीक जाति पिन्जारा पता खतेडिया	353/2	2.841	0.234	सिंचित
24	श्री मारुति मंदिर भू-स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय इंदौर	356	1.193	0.375	सिंचित
25	उस्मान पिता नाना जाति नायता पता खतेडिया	359/1	0.126	0.039	सिंचित
26	उस्मान पिता नाना जाति नायता पता खतेडिया	359/2	0.127	0.058	सिंचित
27	आजाद पिता उस्मान जाति नायता पता खतेडिया	359/3	0.253	0.035	सिंचित
28	कमलाबाई पति रामकिशन जाति बाछडा पता खतेडिया	359/4	0.171	0.049	सिंचित
29	उस्मान पिता नाना जाति नायता पता खतेडिया	359/5/1	0.253	0.056	सिंचित
30	युनूस पिता नाना जाति नायता पता खतेडिया बजात	359/5/2	0.119	0.030	सिंचित
31	कमलाबाई पति रामकिशन जाति बाछडा पता खतेडिया	360/1	0.171	0.107	सिंचित
32	युनूस पिता नाना जाति नायता पता खतेडिया बजात	360/2	0.387	0.153	सिंचित
33	युनूस पिता नाना जाति नायता पता खतेडिया बजात	267/2	0.550	0.148	सिंचित
34	मदिनाबाई पति मांगीलाल जाति नायता पता खतेडिया	361/1	0.148	0.148	सिंचित
35	रशीद पिता रफीक जाति पिन्जारा पता खतेडिया	361/2	0.502	0.032	सिंचित
36	मेमुनाबी पति युनूस जाति नायता पता खतेडिया	361/3	0.301	0.188	सिंचित
37	भुरीबाई पति हबीब जाति नायता पता खतेडिया	361/4	0.052	0.052	सिंचित
38	सुभाष पिता मेहरबान बंटी पिता मेहरबान राजूबाई बेबा मेहरबान न पता खतेडिया	265/2	0.486	0.240	सिंचित
39	सोदान पिता बापूजाति बाछडा पता खतेडिया	264	0.486	0.254	सिंचित
40	रईसाबी बेबा गनी इकबाल करामत फारुख पिता गनीजाति नायता पता खतेडिया	263/1	0.657	0.055	सिंचित
41	अनीसाबी बेबा कमाल रसीद रफीक नसीम बी पिता कमाल व बरकतबाई पति छिता जाति नायता पता खतेडिया	263/2	0.658	0.291	सिंचित
42	सेवा भूमि ग्राम कोटवार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार	255	3.642	0.690	सिंचित.
कुल रकबा				7.941	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1751-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0017-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील सांवेर जिला इन्दौर के ग्राम पोटलोद की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	सांवेर	पोटलोद	6.711	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम इन्दौर(म.प्र.)	इन्दौर-उज्जैन के मध्य 4-लेन मय पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड निर्माण

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	लोकेन्द्र पंवार पुत्र श्री कंचन सिंह जी पंवार कंचन सिंह पंवार पुत्र श्री राम सिंह जी पंवार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1541	1.003	0.227	सिंचित
2	लोकेन्द्र पंवार पुत्र श्री कंचन सिंह जी पंवार पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1542/3/2	0.595	0.139	सिंचित
3	पार्वतीबाई पति ओमप्रकाश जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1540/2	2.090	0.030	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1540/3	0.199	0.038	सिंचित
5	राकेश, संतीश पिता रामचंद्र क्रष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1540/1	0.922	0.458	सिंचित
6	बाबूलाल पिता बलवन्त जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1543	1.189	0.382	सिंचित
7	लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1546/1	0.170	0.122	सिंचित
8	लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1546/2	0.170	0.139	सिंचित
9	लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1546/3	0.170	0.161	सिंचित
10	विनोद, शिवप्रसाद पिता तेजराम लीलाबाई बेवा तेजराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1547	1.412	0.439	सिंचित
11	निलेश पिता सुभाषचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1536/1	2.760	0.005	सिंचित
12	सूरजबाई बेवा मांगीलाल जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1536/2	0.781	0.310	सिंचित
13	सुरेन्द्र, नरेन्द्र, राजेन्द्र पिता सतानंद जाति ब्राह्मण पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1535	0.388	0.291	सिंचित
14	निलेश पिता सुभाषचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1534	0.356	0.286	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मै)	प्रभावित रकबा हे. मै	अर्जित भूमि का प्रकार
15	ईश्वर, मुकेश पिता नारायण जाति खाती शांताबाई बेवा नन्दकिशोर रवि सचिन पिता नन्दकिशोर जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1533/1	0.706	0.334	सिंचित
16	सुभाष मण्डलोई पिता ब्रम्हानन्द मण्डलोई जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	1533/2	0.706	0.245	सिंचित
17	राकेश, संतीश पिता रामचंद्र कृष्णाबाई बेवा रामचन्द्र जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1532	1.493	0.461	सिंचित
18	चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1553/1	0.574	0.433	सिंचित
19	तेजुबाई पति रामदुलार जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1553/2	0.846	0.003	सिंचित
20	बाबूलाल पिता कासीराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1555/1	0.314	0.314	सिंचित
21	रामेश्वर पिता कासीराम जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1555/2	0.314	0.168	सिंचित
22	चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1554/2	0.271	0.013	सिंचित
23	सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1531	0.397	0.067	सिंचित
24	सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	1523/2	1.987	0.020	सिंचित
25	चतुर्भुज पिता हुकुमचन्द जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1523/3	1.926	0.922	सिंचित
26	सुभाष पिता ब्रम्हानन्द जाति खाती पता पोटलोद सांवेर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी	1527/1/2	4.792	0.027	सिंचित
27	सुभाष पिता ब्रम्हानन्द पता पोटलोद सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1527/3	1.720	0.310	सिंचित
28	सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति खाती पता बुढ़ानिया पंथ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1561/2/1	0.336	0.147	सिंचित
29	सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति खाती पता बुढ़ानिया पंथ सांवेर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1561/2/2/1	0.128	0.128	सिंचित
30	रेशमबाई पति लीलाधर विनोद पिता लीलाधर जाति खाती पता इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1561/2/2/2	0.208	0.092	सिंचित
कुल रकबा				6.711	

इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के मध्य 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी,
जिला शहडोल, मध्यप्रदेश**

**मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों
का अर्जन) अधिनियम 2012**

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिए)

शहडोल, दिनांक 7 नवम्बर 2025

क्रमांक 17/बी-121/2022-23, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.04.2024 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पांडखेर, पटवारी हल्का 63-घोरवे तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.05.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	पांडखेर / 63-घोरवे	146/3, 146/7	0.137
			49/2/1/1, 49/3/2	0.200
			213/2/4, 213/4	0.467
			212/1, 212/2, 212/5, 212/6	0.300
			207/2/1, 207/2/2	0.111

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिए)

कमांक 13/बी-121/2022-23, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का 17-कटकोना, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.05.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	कटकोना / 17-कटकोना	565	0.130
			742/1, 742/2	0.191
			743	0.08
			744	0.031
			745	0.239
			735	0.127
			648	0.013
			647	0.064
			649	0.030
			641/1, 641/2, 641/3, 641/4	0.041

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्रारूप-घ (नियम 6 देखिए)

कमांक 02/बी-121/2022-23, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 14.06.2024 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का 65-छाता, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	सोनवर्षा / 65-छाता	188/2	0.291
			187	0.165
			184/1,184/2	0.004
			182	0.082
			181	0.007
			236/1,236/2	0.184
			235/1,235/2	0.421
			229/1/1,229/1/2,229/1/3,229/ 2	0.041
			97/1/1,97/3	0.011
			94	0.045
			96	0.075

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी एवं उपायुक्त (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 1755-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 19 मई 2025

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम कदंवा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई, सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - थथौरा

(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 35.7250 हे०

सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	174	0.308
2	179	0.120
3	175	0.425
4	177	0.146
5	178	0.514
6	180	0.077
7	181	3.504
8	182	0.299
9	195	0.081
10	196	0.364
11	183	0.646
12	188/1	0.420
13	190	0.376
14	192	1.380
15	204/2	0.384
16	205/2	0.405
17	357	0.154
18	443/2	0.144

19	354	0.178
20	360/2	0.120
21	444/2	0.093
22	444/651/1	0.721
23	444/1	0.888
24	360/3	0.120
25	444/651/2	0.724
26	206/1	0.276
27	443/1	0.143
28	210	0.761
29	211/1	0.125
30	220	0.065
31	221/1	0.206
32	211/2	0.061
33	221/2	0.105
34	213	0.364
35	224	0.036
36	219	0.474
37	445	0.125
38	225/2	0.040
39	225/3	0.061
40	225/4	0.105
41	228	0.534
42	231	1.062
43	430	0.616
44	231/648	0.336
45	232	0.290
46	233	0.470
47	361	0.121
48	449	0.057
49	448	0.085
50	590	0.279
51	451	0.275
52	236	0.259
53	330/1	0.552
54	359	0.279
55	360/1	0.120
56	330/2	0.405
57	350/2	0.770
58	351/2	0.024
59	350/1	0.101
60	352	0.380
61	362/2	0.077
62	362/4	0.077

63	362/3	0.077
64	363/1	0.184
65	362/5	0.081
66	358/3	0.088
67	206/3	0.069
68	364	0.150
69	362/1	0.081
70	206/2	0.140
71	358/1	0.088
72	363/2	0.184
73	363/3	0.190
74	358/4	0.116
75	347	0.506
76	237	0.210
77	431	0.161
78	440/1	0.147
79	441	0.041
80	442	1.540
81	440/2	0.069
82	588/2	0.120
83	436	0.004
84	206/4	0.072
85	588/3	0.116
86	588/1	0.236
87	358/2	0.088
88	587	0.291
89	225/1	0.171
90	580	0.170
91	575	0.032
92	576	0.425
93	577/2	0.049
94	577/1	0.246
95	578	0.227
96	579	0.032
97	206/5	0.188
98	358/5	0.096
99	188/2	0.422
100	353	0.765
101	212	0.182
102	222	0.308
103	223	0.028
104	452	0.210
105	189	0.324
106	191	0.186

107	193	0.061
108	194	1.672
109	205/1	0.408
110	208	0.526
111	209	0.401
112	234	0.255
113	589	0.210
114	574	0.045
115	585	0.148
116	586	0.065
117	584	0.117
योग	117 किता	35.725

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र०पा०ज०क०लि० सिरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया यराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज बारिस्सों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1817-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - चंदकुइया

(घ) क्षेत्रफल- 1.9720 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नं.	प्रभावित रकबा (हे.मे)
1	फुलनिया बेवा रामकृपाल काछी सा. चन्दकुआ भूमि स्वामी	710/1/2/1	0.0950
2	जीतलाल पिता रामकृपाल काछी सा. चन्दकुआ भूमि स्वामी	710/1/2/2	0.0250
3	गीतैन्द्र प्रसाद पिता राम सजीवन ब्रा.सा.नागौद भूमि स्वामी	710/1/1/3/1	0.0370
4	कुसुम कुशवाहा पुत्री लालमन कुशवाहा सा.चन्दकुइया भूमि स्वामी	710/1/1/2	0.0370
5	आनन्द कुमार कुशवाहा पिता बन्दीलाल कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	747/1	0.1440
6	शोमनाथ पिता शारदा प्रसाद काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	744	0.0920
7	सुदर्शन पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	743/3	0.0630
8	बृजकिशोर पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	743/6	0.0720
9	मुंकुन्दीलाल पिता चुनवादी काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	743/1	0.0270
10	ऊषा देवी बेवा राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी,संजय कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी,सुनील कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा. सा. चन्द्रकुइया 1/3 भाग भूमि स्वामी	742/2/2	0.2160
11	रमेश कुमार पिता तुलसीदास ब्रा. सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	741/3	0.1080
12	अजीज खाँ पिता जुम्नन खाँ सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	931/2	0.1440
13	अजीज खाँ पिता जुम्नन खाँ सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	932/1	0.0100
14	शैकुननशा पत्नी मों. सफी सा. चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,सर्फराज खाँ पिता मो. सफी खाँ मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,लुकमान खा. पिता मो. सफी खाँ मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,शौकत खा. पिता मो. सफी खाँ मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी	900	0.0830
15	शैकुननशा पत्नी मों. सफी सा. चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,सर्फराज खाँ पिता मो. सफी खाँ मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,लुकमान खा. पिता मो. सफी खाँ मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी,शौकत खा. पिता मो. सफी खाँ मुसलमान चन्दकुइया 1/4 भाग भूमि स्वामी	901	0.0680

16	शिवप्रसाद वर्मा पिता रामदुलारे वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	922	0.1220
17	शिवलाल वर्मा पिता रामदुलारे वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	907	0.0220
18	भरतलाल कुशवाहा पिता परमू कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	923	0.0090
19	सलीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, हकीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, करीम खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, मजीद खां पिता सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, भूरी पुत्री सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी, नूरजहाँ पुत्री सहवाग खां मुसलमान सा. देह भूमि स्वामी	910	0.0650
20	शिवलाल वर्मा पिता रामदुलारे वर्मा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी, 18/230 भाग रामस्वरूप पिता रामदुलारे वर्मा 212/230 भाग भूमि स्वामी	908	0.0210
21	रावेन्द्र कुमार पिता राधिका प्रसाद ब्रा. सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	911	0.0090
22	गुरु प्रसाद पिता ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	855/1/1/1/1	0.0840
23	सिक्कू पिता ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	855/1/3	0.0810
24	कमला प्रसाद ददोली काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	855/1/2	0.0630
25	रामरूप पिता रामसजीवन काछी सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	855/2/2	0.0350
26	ब्रजभान कुशवाहा पिता रामखेलावन कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	856/1	0.1300
27	राजेन्द्र कुमार पिता बोधाली कुशवाहा सा. चन्दकुइया भूमि स्वामी	862/1/1	0.1100
कुल योग—			1.9720

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चंदकुइया सबमाइनर-1 नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1861-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - शिवपुर

(घ) क्षेत्रफल- 0.5740हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा क्रमांक	प्रभावित स्कवा (हे.मे.)
1	श्यामा पति रामकरण, सतीश, सुशील, हरीश सनील वगैरह	257/1	0.1940
2	बद्री पिता भोलादीन बागरी	271/1	0.1500
3	संतोष पिता बहादुर राम ब्राम्हण	271/2	0.0810
4	फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल	276/1	0.1010
		276/2	
5	फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल	280/1	0.0290
		280/2	
		280/3	
6	फूलचन्द्र अग्रवाल पिता कामता अग्रवाल	313/1	0.0190
		313/2	
कुल योग-			0.5740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म0प्र0) द्वारा सतना जिले अन्तर्गत छींदा-शिवपुर-निपनिया-उजरौधा-सेमरी वाया रैगांव मार्ग के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-580211-भू-अर्जन-विस्थापन-2025

नर्मदापुरम, दिनांक 3 नवम्बर 2025

चूंकि राजस्व शासन को इस बात का सम्मधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1-भूमि का वर्णन

अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा रकबा (हेक्ट.)
01	02	03	04	05	06
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	24/3	0.571	0.076
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	24/2	0.442	0.036
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	26/2	0.809	0.056
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	28/1	1.483	0.056
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	92/1/2	0.420	0.056
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	92/3	0.413	0.078
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	91	1.680	0.312
नर्मदापुरम	सोहगपुर	रैपुरा	88/1	0.809	0.072
नर्मदापुरम	सोहगपुर	निवरी	264	0.845	0.056
नर्मदापुरम	सोहगपुर	निवरी	267	0.591	0.056
नर्मदापुरम	सोहगपुर	निवरी	268	0.243	0.024
नर्मदापुरम	सोहगपुर	निवरी	350/2	0.405	0.096
नर्मदापुरम	सोहगपुर	निवरी	351/1	0.267	0.032
नर्मदापुरम	सोहगपुर	निवरी	351/2	0.134	0.016
कुल अर्जित रकबा					1.022

(2)- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है:- "शोभापुर-तरोनकलों मार्ग में इटारसी-जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 234 पर ओवरहेड ब्रिज (ROB) निर्माण"।

(3)- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के स्वर का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोहगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपे सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-987-भू-अर्जन-2025

धार, दिनांक 3 नवम्बर 2025

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में सड़क एवं नाली निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम गेहलगांव

तहसील-कुक्षी, जिला-धार

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में सड़क एवं नाली निर्माण से प्रभावित होने से	0.076	0	0.076
	कुल	0.076		0.076

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गेहलगांव, तहसील-कुक्षी, जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मोहन पिता गंगाराम जाति कुलमी पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	36/3/1	0.377	0.000	0.377	0.017	0.000	0.017
		38/2	0.445	0.000	0.445	0.019	0.000	0.019
		40/1	0.320	0.000	0.320	0.016	0.000	0.016
	योग:-		1.142	0.000	1.142	0.052	0.000	0.052
2	तुलसीराम पिता गंगाराम जाति कुलमी पता गेहलगांव कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/2	1.020	0.000	1.020	0.008	0.000	0.008
3	रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुलमी पता पुरा कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	40/3	1.548	0.000	1.548	0.008	0.000	0.008
4	रश्मिकान्त, राजेन्द्र कुमार, प्रवीण कुमार पिता फुलचन्द जाति महाजन पता चिखल्दा धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	41/3/1	2.961	0.000	2.961	0.008	0.000	0.008
	कुल योग:-		6.671	0.000	6.671	0.076	0.000	0.076

प्र.क्र.-990-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में सड़क निर्माण से प्रभावित निजी भूमि जिसका क्रषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम भवरिया

तहसील-कुक्षी, जिला-धार

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम भवरिया तहसील-कुक्षी, जिला-धार में सड़क निर्माण से प्रभावित होने से	0.770	0	0.770
	कुल	0.770		0.770

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भवरिया, तहसील-कुक्षी, जिला-धार की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भगवान, राधाबाई, अम्बाराम, सानु, मनु पिता गेन्दालाल जाति भिलाला पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	263	2.400	0.000	2.400	0.150	0.000	0.150
2	काल्या पिता सातया जाति भारुड पता भवरिया कुक्षी धार मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	265	4.380	0.000	4.380	0.090	0.000	0.090
3	श्री नील कन्देश्वर महादेव मंदिर प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर महोदय धार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	287	9.563	0.000	9.563	0.530	0.000	0.530
	कुल योग:-		16.343	0.000	16.343	0.770	0.000	0.770

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 03-अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 10 नवम्बर 2025

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बोरदाश्री जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ बोरदाश्री जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	बोरदाश्री जलाशय	तहसील - खिलचीपुर	जिला - राजगढ़
	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
	निजी भूमि बोरदाश्री जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	प्रभावित रकबा	
1	ग्राम- अंतरालिया की भूमि	6.563	
	कुल योग	6.563	

अनुसूची (2)

बोरदाश्री जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण					
ग्राम :- अंतरालिया					
तहसील - खिलचीपुर		जिला - राजगढ़			
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा (हे.)	प्रभावित रकबा (हे.)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	नंदराम, प्यारेलाल पिता श्रीया हि. बराबर 1/2 जाति भील नि. ग्रा. भू-स्वामी	5 6 13	0.239 0.214 0.036	0.070 0.075 0.036	
	योग :-	3	0.489	0.181	
2	मानसिंह, हरलाल शिवसिंह, बरदी बाई पिता श्रीया हि. बराबर 1/12 गिरधारी चंपा पिता देव्या भूली बेबा देव्या हि. बराबर 1/12 कस्तूरीबाई, गोराबाई, देवीलाल, गंगाराम, मांगीलाल, रामचंदर पिता खीमा हि. बराबर 1/18 राधेश्याम, प्रकाश पिता शंकर, बजरंग, राकेश नाबालिक माता प्रेमबाई, सुगनबाई, केलाबाई पिता शंकर, कलाबाई नाबालिक माता प्रेमबाई, प्रेमबाई बेबा शंकर हि. बराबर 1/96 जाति लोडा नि. ग्रा. अंतरालिया भू-स्वामी	7 8 9 10 30 43 44 93/41 94/41	0.006 0.910 0.036 0.012 1.049 0.024 0.006 0.685 0.239	0.006 0.910 0.036 0.012 1.049 0.024 0.006 0.067 0.010	
	योग :-	9	2.967	2.120	
3	दौला पिता मन्ना जाति लोडा नि. ग्रा. भू-स्वामी	11/1/1 11/2/1 20/1 58/41/1/1	0.126 0.127 0.589 0.139	0.126 0.127 0.410 0.126	
	योग :-	4	0.981	0.789	

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा (हे.)	प्रमाणित रकबा (हे.)	अन्य विवरण
2		3	4	5	6
4	प्रभु पिता मन्ना जाति लौडा नि.ग्रा. भू-स्वामी।	11/1/2 11/2/2 20/2 58/41/1/2	0.125 0.128 0.588 0.140	0.125 0.128 0.410 0.126	
	योग :-	4	0.981	0.789	
5	भेरूलाल, गंगाबाई, कमलाबाई, नन्दराम, जगन्नाथ, पिता कालू हि. बराबर 1/5 जाति लौडा नि.ग्रा. भू-स्वामी।	12 101/41 68/41 67/41	0.721 0.255 0.125 0.214	0.721 0.045 0.125 0.214	
	योग :-	4	1.315	1.105	
6	विक्रमसिंह, मांगीबाई, कालीबाई, अनिताबाई, पिता गोपीलाल, किशना पिता कंवरा जाति भील नि. ग्रा. बोरदाश्री	14 15	0.053 0.101	0.053 0.101	
	योग :-	2	0.154	0.154	
7	कंवरलाल, बीरम, प्रकाश पिता रोडा हि. बराबर 1/4, दरियाव बाई बेबा रोडा जाति लौडा हि. 1/4 नि. ग्रा. भू-स्वामी।	18 83/41 66/41/1	0.036 0.267 0.190	0.036 0.267 0.190	
	योग :-	3	0.493	0.493	
8	श्रीलाल, प्रभुलाल, कालू पिता भंवरिया हि. बराबर 1/6, बीरम, मोहन, पिता रामा हि. बराबर 1/4 जाति चमार नि. ग्रा. बोरदाश्री	52/41	0.519	0.055	
	योग :-	1	0.519	0.055	
9	खेमा पिता गोपाल जाति लौडा नि. ग्रा. बोरदाश्री	98/41	0.340	0.090	
	योग :-	1	0.340	0.090	
10	देवीलाल, बंशीलाल, बापूलाल, देवसिंह, शिवसिंह पिता हीरालाल, अमरीबाई, सरदारीबाई, मेथीबाई पिता हीरालाल, घीसालाल पिता भंवरलाल जाति लौडा नि.ग्रा. भू-स्वामी।	88/41	0.154	0.154	
	योग :-	1	0.154	0.154	
11	प्रभुलाल, रामचंदर पिता जयसिंह हि. 1/2 बराबर जाति लौडा नि.ग्राम भू-स्वामी	78/41 79/41	0.150 0.483	0.150 0.483	
	योग :-	2	0.633	0.633	
	कुल योग ग्राम अत्तरालिया	34	9.026	6.563	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

कमांक 9623/भू-अर्जन/2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि पर खाना (6) अनुसार स्थित परिसम्पत्ति की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 21/अ-82/2025-26 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ हेतु ग्राम कलालपुरा की प्रभावित वर्णित परिसम्पत्ति जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश परिसम्पत्ति का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित परिसम्पत्ति

स.क्र.	विवरण	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
1	कलालपुरा	01 कुआ
कुलयोग :-		01 कुआ

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित परिसम्पत्ति :- ग्राम कलालपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	परिसम्पत्ति	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	मांगीलाल पिता भोना जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	38/1	0.000	01 कुआ	मोहनपुरा बांध के डूब क्षेत्र हेतु
		1	0.000	01 कुआ	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ (ब्यावर) म.प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-0007-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9343

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा झूड़ा पटवारी हल्का नंबर-59 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 6/3, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1/1, 9/1/2, 9/2, 10, 19, 22/1, 22/2, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 44, 45/1, 45/3, 45/4, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54, 55/1, 55/2/1, 55/2/2, 56, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7/1, 69/7/2, 73, 160/2, 160/3, 166, 167/1, 325 में से कुल रकबा 2.857 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण																
2	लोक प्रयोजन	जमदर्रा नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम झुड़ा प.ह.नं.- 59 तह. गढ़ाकोटा																
4	परियोजना का क्षेत्र	583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	जमदर्रा जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा।																
7	परियोजना निर्माण के चरण	नहर निर्माण द्वितीय चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है।																
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	ग्राम- माधो की निजी भूमि 2.857 हे.																
10	भूमि का मूल्य	ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.857 है., का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5,50,000-00 मात्र एवं असिंचित 2,75,000-00 रुपये मात्र है।																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	0																
12	परिसंपत्तियां	लोक परिसंपत्ति - कोई लोक परिसंपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -	होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक																
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों -- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमन्यता क्यों दी गई? (ख) यदि नहीं -- तो क्यों?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकबा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।																

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम - झुडा प.ह.नं.-59

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)	प्रभावित नहीं
9	वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है।

क्र.-0005-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9350

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कजरावन पटवारी हल्का नंबर-58 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 130, 131, 132/1, 132/2, 156, 158, 159, 167/1, 167/3, 167/5, 167/6, 168/1, 168/2, 169, 192/2, 193, 194/1, 194/2/1, 194/2/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 128, 162/1/1/1, 162/1/1/2, 162/1/2, 163, 164/1/1, 164/1/2, 164/2, 165/1/1, 165/1/2, 165/2, 166/1, 166/2, 174, 175, 176, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 149/1, 149/2, 49/3/1, 149/3/2, 149/4, 149/5, 153, 154, 155/1, 198/1 में से कुल रकवा 4.370 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्ररूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण																
2	लोक प्रयोजन	जमदर नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम कजरावन प.ह.नं.- 58 तह. गढ़ाकोटा																
4	परियोजना का क्षेत्र	583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा।																
7	परियोजना निर्माण के चरण	नहर निर्माण द्वितीय चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है।																
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	ग्राम- कजरावन की निजी भूमि 4.370 हे.																
10	भूमि का मूल्य	ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 4.370 है., का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5,53,600-00 मात्र एवं असिंचित 2,76,800-00 रुपये मात्र है।																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	0																
12	परिसंपत्तियां	लोक परिसंपत्ति -- कोई लोक परिसंपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -	होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक																
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई? (ख) यदि नहीं - तो क्यों?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकबा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
16	निष्कर्ष	निरंक लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकबा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशासक करता है।																

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम - कजरावन

प.ह.नं.-58

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)	प्रभावित नहीं
9	वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है।

क्र.-0007-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9355

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा पड़वारी पटवारी हल्का नंबर-20 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 62/1/1, 62/1/2, 95/1/1, 95/1/2, 95/2/1, 95/2/2, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 147/1/1, 147/1/2 में से कुल रकवा 0.924 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण																
2	लोक प्रयोजन	जमदर नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम बरखेरा गौतम प.ह.नं.- 20 तह. गढ़ाकोटा																
4	परियोजना का क्षेत्र	583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा।																
7	परियोजना निर्माण के चरण	नहर निर्माण द्वितीय चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है।																
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	ग्राम- पडक्वारी की निजी भूमि 0.924 हे.																
10	भूमि का मूल्य	ग्राम पडक्वारी की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.924 है., का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 6,30,400 मात्र एवं असिंचित 3,15,200-00 रुपये मात्र है।																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	015																
12	परिसंपत्तियाँ	लोक परिसंपत्ति - कोई लोक परिसंपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -	होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> जिनके कान अर्जित हुए परिवारों की संख्या- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक																
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई? (ख) यदि नहीं - तो क्यों?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
16	निष्कर्ष	निरंक लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।																

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम - पडक्वारी प.ह.नं.-20

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)	प्रभावित नहीं
9	वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है।

क्र.-0008-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-9358

सागर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के प्रस्ताव अनुसार जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा माधौ पटवारी हल्का नंबर-59 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 119/1, 119/2, 119/5, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 125/1, 125/2/1, 132/1, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 168, 169, 171, 195, 196, 198, 199, 200/1, 200/2, 208/1, 144, 145, 146, 153, 159 में से कुल रकबा 2.478 भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

संदीप जी. आर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण																
2	लोक प्रयोजन	जमदर नहर निर्माण योजना से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम माधो प.ह.नं.- 59 तह. गढ़ाकोटा																
4	परियोजना का क्षेत्र	583 हे. परियोजना क्षेत्र लाभान्वित 54.30 हे. अशासकीय प्रभावित क्षेत्र है. ।																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	जमदर जलाशय योजनांतर्गत नहर का निर्माण किया जाना है जो मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर जिला सागर द्वारा किया जावेगा।																
7	परियोजना निर्माण के चरण	नहर निर्माण द्वितीय चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	भू-अर्जन प्रकरण के साथ संलग्न है।																
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	ग्राम- माधो की निजी भूमि 2.478 हे.																
10	भूमि का मूल्य	ग्राम माधो की वर्ष 2024-25 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.478 है, का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 5,50,000-00 मात्र एवं असिंचित 2,75,000-00 रुपये मात्र है।																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	● 25																
12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति - भूमि - है, भवन- निरंक, अन्य निरंक। निजी संपत्ति - भूमि है, भवन निरंक, अन्य निरंक।																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई -	होने वाले परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई है- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> जिनके स्थान अर्जित हुए परिवारों की संख्या- <table><tr><td>अ. जा.</td><td>अ. ज. जा.</td><td>अन्य</td><td>योग</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक																
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमन्यता क्यों दी गई? (ख) यदि नहीं - तो क्यों?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नहर निर्माण योजना हेतु पूर्णतः उपयुक्त है परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सिंचित भूमि का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों का लाभ होगा एवं आर्थिक विकास होगा निरंक																
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है क्षेत्र में नहर निर्माण होने से क्षेत्रवासीयों की सिंचाई की समस्या का निदान होगा सिंचित क्षेत्र का रकवा बड़ेगा जिससे क्षेत्र वासियों की आय बड़ेगी तथा आर्थिक विकास होगा सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।																

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाए- ग्राम - माधो

प.ह.नं.-59

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान)	प्रभावित नहीं
9	वे उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक प्रभावित न होने के कारण किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः इस बिंदु की जानकारी भी निरंक है।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-615-भू-अर्जन-2025-तेंदूखेड़ा-रा.मा.क्र 0001-अ-82-2024-25

तेंदूखेड़ा, दिनांक 13 नवम्बर 2025

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम - बारहा प.ह.नं. 25 नं.ब. 313 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के कुल 0.384 हे. भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन भू-खंड है, जो 0.384 हे. है ग्राम - बारहा तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम - बारहा तहसील तेंदूखेड़ा प.ह.नं.- 25

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	जगदीशचंद देवेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल पालीवाल जाति ब्राम्हण पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	219 (s)	0.016
2	कंछेदी भगवानदास परषोत्तम रूपसिंह पिता महादेव बिन्नीबाई हल्कीबाई पुत्री महादेव जाति किरार सा. सिमरियाकला तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	221/2 (s)	0.060
3	मख्बू पिता धन्ने मुन्नीबाई पत्नि मख्बू जाति बसोर पता लोलरी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	221/3 (s)	0.008
4	शिल्पी पत्नि सत्यम, जाति सोनी, पता बारहा डोभी तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	216/1/1 (s)	0.010
5	हाकमसिंह पिता कन्छेदीलाल जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	216/2 (s)	0.010
6	देवेंद्र पिता हाकमसिंह जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	216/3 (s)	0.060
7	नेतराम पिता तुलाराम जाति किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	214, 215/1	0.120
			215/3 (s)	0.050
8	कलाबाई पुत्री तुलाराम किरार पता बारहा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	215/2 (s)	0.010
9	संजय पिता रामलाबू गीता बेवा रामबाबू वर्षा पुत्री रामबाबू जाति पालीवाल पता जगदीश वार्ड गाडरवारा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश	भूमिस्वामी	222/1 (s)	0.032

क्रं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
	भूमिस्वामी			
10	देवेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल पालीवाल जाति ब्राम्हण पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	222/2 (s)	0.008
कुल योग				0.384

1. धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना में सरल क्रमांक - 4 में बालकिशन पिता चेताराम जाति किरार का नाम प्रकाशित किया गया था। धारा 19 की घोषणा में न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेडा के रा. मा. क्रं. 0908/ अ-6/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 08-04-2025 के अनुसार सरल क्रमांक 4 में शिल्पी पत्नि सत्यम जाति सोनी का नाम शामिल किया जा रहा है शिल्पी द्वारा भूमि धारा 11 के प्रकाशन के पूर्व रजिस्ट्री क्रमांक MP268172023K11882107 दिनांक 24-05-2023 क्रय की गई थी।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेडा द्वारा राजस्व मा. क्रं. 40/अ-6-अ/2025-26 में पारित आदेश दिनांक 11.11.25 के अनुसार मूल खसरा नं. 216 एवं 217 का नक्शा दुरुस्त होने के कारण अनुक्रमांक 4, 5, एवं 6 में से खसरा नं. 217/1/1, 217/2, 217/3 प्रभावित नहीं होने से विलोपित किये गये।
3. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमिअर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
4. अनुक्रमांक 09 एवं 10 के खसरा नंबरों का नक्शा दुरुस्ती का राजस्व प्रकरण क्रमांक 167/ब-121/2025-26 न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेडा में विचाराधीन है। प्रकरण के निराकरण पश्चात नक्शा अनुसार प्रभावित रकबा का बंटन कषकों के मध्य किया जावेगा।
5. कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार निराकरण में भौतिक सत्यापन किये जाने पर यह पाया गया है कि उक्त भू-अर्जन में किसी प्रकार का कोई विस्थापन व पुनर्वास नही किया जाना है।
6. चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के के पंप हाउस क्रमांक 02 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त भूमि के या उक्त भूमि किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
8. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग तेंदूखेडा के आदेश क्रमांक 0040/अ(6)अ/2025-26 आदेश दिनांक 13-11-2025
9. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेडा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, तहसील सरदारपुर,
जिला धार, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-5206-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0156-ब-121-2023-24

सरदारपुर, दिनांक 21 अगस्त 2025

प्रारूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-5363/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 16.10.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-72, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.11.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राग पंतायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूगिरवागी/अधिगोत्री को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-72,	621	0.009
			619	0.056
			608	0.017
			504	0.024
			501	0.008
			512	0.015
			511	0.008
			513	0.019
			514	0.005
			516	0.016
			197	0.060
			198	0.017
			199	0.081
			177	0.009
			176	0.009
			174	0.005
			173	0.035
कुल योग			17	0.393

प.क्र.-5224-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0046-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-2091/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-रालामण्डल, प.ह.नं.-88, रा.नि.मं.-दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 07.07.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-रालामण्डल, प.ह.नं.-88,	169/1/1	0.038
			167	0.078
			166/2	0.040
			166/1	0.031
			164/2	0.057
			163	0.033
			174/1/2	0.014
कुल योग			07	0.291

प.क्र.-5227-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0060-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2961/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73,	433/2	0.008
			433/1	0.086
			432	0.034
			402/2	0.080
			402/1	0.018
			399/1	0.018
			398	0.012
			399/2	0.023
			396	0.066
			395	0.006
			344/2	0.038
			378	0.039
			345/2	0.005
			346/2	0.015
			353/2	0.048
			353/1	0.026
			352	0.052
			कुल योग	17
				0.574

प.क्र.-5230-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0061-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-2966/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-मेहगांव, प.ह.नं.-73, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक **04.08.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—मेहगांव, प.ह.नं.—73,	302/2	0.014
			303/2	0.024
			301/3	0.008
			303/1	0.019
कुल योग			04	0.065

प.क्र.-5233-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0069-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-2066/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 एवं एल.एम.-17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71,	160/2	0.013
			158/3	0.012
			158/2	0.022
			158/1	0.017
			128/6	0.080
			129	0.043
कुल योग			06	0.187

प.क्र.-5236-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0074-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2081/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,	80	0.008
			83	0.021
			82	0.040
			78	0.019
			81	0.010
			77/2	0.035
			75	0.030
			79	0.009
			कुल योग	0.172

प.क्र.-5239-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0062-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2971/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चिचोड़िया, प.ह.नं.-75, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—चिचोड़िया, प.ह.नं.—75,	251/2	0.004
			251/1	0.025
कुल योग			02	0.029

प.क्र.-5242-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0154-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-5358/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 16.10.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-20 व एल.एम.-17 तथा आर.एम.-15 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम.-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.11.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87,	35/4	0.008
			32/1	0.004
			31	0.038
			29/5	0.026
			29/4	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87,	52/4/1	0.020
			52/4/2	0.020
			29/3	0.017
			52/5/1	0.007
			52/5/2	0.007
			29/2	0.016
			52/3/1	0.020
			52/3/2	0.020
			29/1	0.019
			28/3	0.007
			45/1	0.004
			28/2	0.008
			45/2	0.028
			28/1	0.013
			25/2	0.061
			24	0.060
			21	0.014
			20	0.040
			52/2/2	0.076
			71/1	0.037
			47/3	0.017
			47/1	0.012
			47/2	0.021
			48/4	0.019
			52/1/1	0.019
			52/1/2	0.020
			51/1	0.007
			54/1	0.023
			54/2	0.008
			48/3	0.012
			54/3	0.014
			55	0.032
			164	0.056
			165	0.004
			50/1	0.010
			171/1	0.069
			166/1	0.003
			170/1	0.018
			48/2	0.010
			48/1	0.010
			49	0.027
			10/1/1	0.039
कुल योग			47	1.037

प.क्र.-5245-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0065-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2981/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-20 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भरावदा, प.ह.नं.-68, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-भरावदा, प.ह.नं.-68,	39	0.012
			37	0.080
			32	0.066
			29	0.085
			26	0.020
			185/1	0.056
			200	0.046
			199	0.040
			198	0.003
			195/2	0.015
कुल योग			10	0.423

प.क्र.-5248-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0063-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2996/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच गाईगर पाईप नहर एल.एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बामनखेड़ी, प.ह.नं.-70, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बामनखेड़ी, प.ह.नं.-70,	425	0.030
			424	0.042
			421	0.017
			402/2	0.063
			404	0.005
			406	0.023
			403/1	0.104
			397	0.033
			395	0.045
			393/2/2	0.025
			393/2/1	0.025
			393/1/2	0.022
			कुल योग	0.434

प.क्र.-5251-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0064-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक-2986/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-20 एवं आर.एम.-20 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. 5 व एल.एस.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-भीलगुन, प.ह.नं.-68, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक **04.08.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-भीलगुन, प.ह.नं.-68,	37	0.012
			36	0.047
			34	0.086
			27/1	0.036
			27/2	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-भीलगुन, प.ह.नं.-68,	24/2/5	0.068
			24/2/3	0.053
			54	0.003
			55/1	0.026
			56	0.038
			60	0.032
			59/2	0.024
			72	0.078
			35	0.055
			26/3	0.021
			26/4	0.005
			52/2	0.010
			52/3/1	0.018
			52/3/2	0.012
			73	0.021
			75	0.041
			77/2	0.035
			77/1/2	0.024
			77/1/1	0.012
			93	0.006
			92	0.044
कुल योग			26	0.857

प.क्र.-5254-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0066-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2991/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-26 व एल.एम.-26 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66,	959	0.004
			961/2	0.019
			956	0.029
			955/2	0.023
			920	0.037

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66,	955/1	0.033			
			923	0.023			
			919/4	0.038			
			919/3	0.020			
			919/1	0.004			
			919/2	0.026			
			913	0.053			
			911	0.035			
			912	0.040			
			915/1	0.010			
			624/1	0.036			
			625/1	0.015			
			598/4	0.003			
			594/2	0.016			
			623/2	0.019			
			623/5	0.020			
			623/1	0.020			
			623/4	0.018			
			617	0.075			
			616	0.047			
			615	0.053			
			612	0.055			
			528/1	0.005			
			529	0.040			
			532	0.025			
			530/1	0.066			
			540/1	0.015			
			530/2	0.024			
			540/2	0.003			
			531/2	0.040			
			545	0.040			
			625/2	0.018			
			626/1	0.018			
			626/2	0.009			
			596	0.010			
			581	0.012			
			595	0.022			
			597	0.022			
			594/1	0.016			
						564/3	0.068
						564/2	0.050
						565	0.031
कुल योग			48	1.305			

प.क्र.-5257-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0079-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3026/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-4 व एल.एम.-4 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्या कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77,	455	0.021
			454	0.035
			428	0.053
			431/1	0.043
			436/4	0.019

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77,	436/2	0.021
			437	0.049
			419	0.065
			361/3	0.025
			356/4	0.027
			360	0.030
			277/1/1	0.011
			280/1	0.015
			281	0.009
			59/2	0.012
			55/1	0.030
			56/1	0.035
			57	0.005
			402/3	0.035
			401	0.065
			388/2	0.048
			385	0.106
			301	0.041
			300	0.068
			304/2/3	0.013
			304/2/2	0.013
			304/2/1	0.013
			304/1	0.031
			277/2/2	0.013
			277/2/1	0.011
			277/1/3	0.008
			277/1/2	0.008
कुल योग			32	0.978

प.क्र.-5260-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0039-ब-121-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सं 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3011/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर की ब्रांच गाईनर एल.एम.-04 पाईप नहर एवं आर.एस.एम.-08 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बोदला, प.ह.नं.-77, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोदला, प.ह.नं.-77,	466/3	0.081
			464/2	0.030
			121/3	0.040
			466/2	0.018
			465/2/1	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोदला, प.ह.नं.-77,	464/1	0.032
			121/2	0.034
			465/1	0.025
			464/4	0.032
			121/1	0.003
			408	0.010
			407/2	0.015
			180	0.012
			409/2	0.032
			409/1	0.016
			407/1/1/1	0.005
			412	0.055
			400/1	0.030
			399/1	0.004
			425	0.026
			224	0.013
			231	0.040
			234	0.040
			232	0.034
			218	0.025
			203	0.017
			181/4	0.022
			181/3	0.046
			181/2	0.040
			181/1	0.013
			184	0.033
			169	0.054
			167	0.134
			166	0.056
			153	0.050
			144	0.052
			145/2	0.005
			118	0.075
			120/3	0.032
			122	0.038
कुल योग			40	1.325

प.क्र.-5263-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0041-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3021/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सुल्तानपुर, प.ह.नं.-96, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सुल्तानपुर, प.ह.नं.-96,	26	0.074
			100	0.010
			101	0.031
			102	0.023
			103	0.023

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—सुल्तानपुर, प.ह.नं.—96,	104	0.067
			106	0.068
			107	0.016
			108	0.066
			112/1	0.026
			113/1	0.027
			113/2	0.026
			116	0.031
			149	0.055
			150/3	0.033
			163	0.022
			164	0.065
			1119	0.014
			160/2/2	0.024
			159	0.040
			158	0.035
			1120	0.016
			1112	0.004
			1010	0.040
			1108	0.028
			1104	0.019
			1100	0.008
			865	0.013
			867	0.023
			862	0.003
			870	0.017
			871/1	0.009
			871/2	0.008
			890	0.031
			891	0.020
			892	0.008
कुल योग			36	1.023

प.क्र.-5266-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0068-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2061/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-तलोण्डा, प.ह.नं.-70, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—तलोण्डा, प.ह.नं.—70,	74/3	0.010
			90/1	0.049
			90/2	0.015
			88/97	0.048
			88/7	0.020
			20	0.009
कुल योग			06	0.151

प.क्र.-5269-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0070-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक-2096/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88, रा.नि.मं.-दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक **07.07.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88,	77	0.013
			78	0.043
			70/2/3	0.094
			70/2/2	0.004
			69/1	0.031

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88,	69/2/1	0.021
			69/2/2	0.023
			69/3	0.034
			67/2	0.030
			67/1	0.063
			50/5	0.022
			132	0.005
			50/4	0.055
			50/3	0.082
			50/6/1/1/1	0.096
			51	0.030
			133	0.020
			53/2	0.004
			126	0.008
			53/3	0.025
			54/1	0.005
			56/3	0.039
			58	0.012
			56/2	0.008
			57/3/1	0.007
			57/3/2	0.009
			104	0.009
			107	0.005
			134/2	0.022
			127/6	0.025
			127/5	0.024
			127/4	0.011
127/3	0.011			
127/2	0.011			
127/1	0.011			
125/2	0.003			
कुल योग			36	0.915

प.क्र.-5272-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक-993/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-12 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-इडरिया, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-इडरिया, प.ह.नं.-95,	178/2	0.163
			82	0.068
			81	0.063
			87	0.008
			76/2	0.013
			47	0.052
			95	0.015
			93/3	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—इडरिया, प.ह.नं.—95,	46/6	0.005
			107	0.005
			93/2	0.016
			93/1	0.017
			46/8	0.012
			94	0.026
			46/9	0.015
			96/3	0.040
			100/1/1	0.014
			99	0.057
			40	0.013
			38/3/2	0.020
			38/3/1	0.047
			34/2	0.045
			34/1	0.050
			182/2	0.035
			185	0.015
			186/1	0.027
			150	0.089
			169	0.040
			151	0.003
			167	0.006
			155/1	0.020
			155/2	0.039
			143	0.004
			137/2	0.039
			137/1	0.024
			135/1	0.038
			135/3	0.030
			133	0.075
			132	0.065
			129/2	0.011
			129/1	0.095
कुल योग			41	1.421

प.क्र.-5277-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0044-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3016/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 19.07.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-उण्डेली, प.ह.नं.-77, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-उण्डेली, प.ह.नं.-77,	427/3	0.010
			411	0.044
			427/2	0.010
			423/1	0.005
			424	0.030
धार	सरदारपुर	ग्राम-उण्डेली, प.ह.नं.-77,	423/2	0.033
			418	0.027
			416/3	0.069
			406/2	0.038
कुल योग			09	0.266

प.क्र.-5280-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-311/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बाकैड़ी, प.ह.नं.-91,	101/2	0.022
			101/1	0.028
			100	0.036
			103	0.002
			154	0.014
			152	0.031
			151/2	0.006
			151/1	0.043
			149	0.064
			150	0.009
			147/2/1	0.054
कुल योग			11	0.309

प.क्र.-5283-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0018-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-983/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02, आर.एम.-05 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82,	203	0.006
			204/2	0.044
			198	0.020
			186	0.002
			184	0.066

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82,	179	0.049
			180/4	0.006
			180/3	0.008
			180/2	0.012
			180/1/1	0.011
			173/2	0.019
			173/1/3	0.006
			173/1/2	0.006
			173/1/1	0.005
			171/5	0.032
			171/4	0.009
			171/3	0.008
			171/2	0.008
			171/1	0.008
			170/1	0.066
			163/5/3	0.052
			163/5/1	0.001
			163/1	0.071
			163/2	0.068
			163/3	0.067
			98	0.012
			97	0.016
			93/4	0.008
			85/3	0.014
			95/3	0.020
			94	0.010
			85/5	0.014
			85/4	0.024
			46	0.010
			44/2	0.001
			11/2	0.004
			11/1	0.006
			13	0.022
			282/5	0.006
			282/10	0.018
			282/8	0.015
			374/1/1	0.045
			374/1/2	0.029
			374/2	0.048
			382	0.012
			380/2/2	0.062
			380/1	0.039
			405/3	0.034
			405/2	0.012
			405/1	0.020
			404	0.004
			406/1	0.006
420/1	0.042			
424/2	0.043			
425	0.010			
421/2	0.071			
432	0.036			
434	0.010			
435/1/1				
कुल योग			58	1.373

प.क्र.-5286-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-978/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02, 08 व एल.एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-अमझोरा, प.ह.नं.-93, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक **05.05.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-अमझोरा, प.ह.नं.-93	8	0.012
			2/2	0.035
			2/1	0.007
			5/1	0.031
			4/1	0.055

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-अमझेरा, प.ह.नं.-93,	1085	0.041
			3/2	0.050
			3/3	0.024
			83/1	0.071
			94	0.047
			96	0.089
			231/2	0.004
			230	0.102
			247	0.050
			246	0.042
			245	0.039
			236/2	0.067
			237/1	0.050
			237/2	0.018
			240/1	0.021
			239	0.004
			238/1	0.036
			238/2	0.046
			240/2	0.028
			240/3	0.034
			34/1/4	0.042
			34/2/1	0.066
			34/2/2	0.061
			38/2	0.017
			38/1	0.053
			37/1	0.033
			37/2	0.034
			49/2	0.016
			45/1	0.020
			45/2	0.036
			45/3	0.046
			46	0.017
			48	0.020
			47	0.066
			975/2	0.012
			976/2/2	0.006
			976/2/3/1	0.015
			976/2/3/2/1	0.011
			976/2/3/2/2	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—अमझोरा, प.ह.नं.—93	976/2/1	0.024
			972/1	0.010
			971	0.011
			969	0.022
			970	0.038
			1056/1/1	0.006
			1056/2	0.026
			1056/3/1	0.020
			1056/3/2	0.015
			1058/1	0.034
			1084	0.044
			1083	0.011
			1082/2	0.006
			232/1	0.075
			232/2	0.026
			236/1	0.017
			235/2	0.008
			234/2	0.006
			419	0.033
			434/1	0.013
			437	0.045
			441/1	0.045
			442/1	0.035
			501/2/2	0.037
			500/1	0.070
			500/2	0.064
			499/3	0.091
			497	0.018
			492/1/1/1	0.063
			492/1/1/2	0.015
			496/1/1/1	0.022
			496/3/1	0.018
			496/3/2	0.016
			496/3/3	0.012
			463/2/2/1/3	0.017
कुल योग			79	2.595

प.क्र.-5289-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0006-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-973/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 04.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 व डी.एम.-3 पाईप नहर एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर एल.एम.-04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91,	295/2	0.066
			297	0.036
			298	0.022
			242/2	0.006
			11/3	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—मांगोद, प.ह.नं.—91	10	0.052
			7/2	0.054
			179	0.011
			9	0.031
			8/1/1	0.044
			7/1/1/2	0.002
			7/1/2	0.029
			21/1/1	0.037
			21/1/2	0.022
			22/1	0.020
			291/2	0.009
			281	0.006
			284	0.118
			283	0.004
			288	0.021
			289	0.062
			262	0.009
			259/2	0.014
			259/1	0.022
			255/1	0.017
			256	0.003
			131	0.004
			172/2	0.040
			190	0.056
			186	0.081
			187/1	0.004
			187/2	0.023
			184/1	0.003
			183/2	0.022
			182/1	0.007
			128	0.026
			133	0.085
			130	0.029
			126/1	0.032
			126/2/2/1	0.009
			134/2	0.006
			134/1	0.049
			123/2	0.071
कुल योग			43	1.286

प.क्र.-5292-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-291/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्बहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,	458	0.079
			447	0.048
			441/1	0.023
			435/1	0.052
			417/2	0.017
			417/1	0.027
			418	0.019
			408/2/1	0.012
			408/1	0.014
			412/1	0.062
			410	0.021
			338	0.007
			343	0.014
			256/3	0.005
कुल योग			14	0.400

प.क्र.-5296-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0028-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक-321/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल.एम.-04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 10.02.2023** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,	35/1	0.042
			34/1	0.084
			34/2	0.004
			33/2	0.039
			33/1/1	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—मारोल, प.ह.नं.—95,	33/1/2	0.023
			31/1	0.022
			32/1	0.038
			21/3	0.054
			21/2	0.055
			21/1	0.055
			22	0.056
			23	0.036
			13	0.091
			12/1	0.039
			9	0.068
			10	0.056
			8/5	0.023
			92	0.018
			8/2	0.021
			8/3	0.031
			8/4	0.009
			58/1	0.018
			7	0.029
			57	0.047
			59	0.015
			61	0.010
			91/1	0.026
कुल योग			28	1.030

प.क्र.-5299-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0026-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-341/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरेली, प.ह.नं.-78, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरेली, प.ह.नं.-78	681	0.005
			683	0.051
			685/1	0.020
			684	0.026
			696	0.010
			699	0.014
			622	0.006
			631	0.028
			624	0.031
			630	0.002
			कुल योग	0.193

प.क्र.-5302-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-316/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-02 व डी.एम.-03 एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84,	167/1/1/1	0.030
			167/1/1/2	0.069
			167/1/2	0.043
			166/2	0.034
			166/1	0.032
			117/1/1	0.056
			117/2	0.013
			118	0.058

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84,	119	0.055
			122	0.016
			125	0.019
			129/1	0.042
			96	0.022
			97	0.014
			95	0.038
			99/2/3	0.032
			90/1	0.018
			90/2	0.018
			90/3	0.039
			82/2/2	0.018
			82/2/1	0.058
			82/3	0.025
			83/1/2	0.040
			83/1/1	0.039
			64/1	0.016
			65/2	0.040
			64/2	0.017
			62	0.013
			61	0.066
			184/3/1	0.046
			189/2/1/2	0.180
			185/1	0.010
			184/3/2	0.045
			185/2	0.035
			186/1	0.046
			186/2	0.022
			186/3	0.005
			194/1/2	0.059
			194/2	0.062
			216/2	0.035
			206/2/4	0.009
			206/2/2	0.032
			206/2/1	0.030
			206/2/3	0.035
			206/1	0.032
			207	0.004
			187/1	0.060
कुल योग			47	1.727

प.क्र.-5305-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0011-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-306/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91,	241/1/2/1	0.022
			240/2/1	0.006
			241/1/1	0.006
			238	0.007
			237	0.034

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—आंतेड़ी, प.ह.नं.—91,	239/2	0.022
			174/2	0.029
			174/1	0.010
			173/2	0.001
			227/1/2	0.018
			65/1/2	0.020
			175/3	0.016
			175/2	0.014
			233	0.009
			194/2	0.010
			176/6	0.011
			176/5	0.010
			176/4	0.007
			176/3	0.006
			177/3	0.002
			62/4	0.006
			227/1/1	0.016
			65/1/1	0.022
			178/6	0.007
			62/3	0.008
			178/3	0.008
			62/2	0.016
			181	0.015
			186	0.015
			187	0.021
			196/2	0.018
			196/1	0.065
			197	0.020
			198	0.024
			65/2	0.006
			62/1	0.032
कुल योग			36	0.559

प.क्र.-5308-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-296/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम- खाकेड़ी, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91,	28/4	0.019
			27/1	0.043
			23	0.078
			कुल योग	0.140

प.क्र.-5311-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-301/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 तथा एल.एम.-01 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79	100	0.067
			98	0.101
			85/2	0.034
			181/2	0.038
			86/6	0.068

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79	86/5	0.011
			86/4	0.010
			86/3	0.010
			86/2	0.010
			86/1	0.028
			65/2/3	0.058
			67	0.052
			97	0.069
			101	0.034
			174	0.031
			91	0.026
			87/7	0.018
			87/6	0.007
			89/3	0.044
			145/3	0.015
			89/2	0.013
			145/1	0.028
			22/2	0.010
			16/1	0.065
			147/3	0.066
			20	0.038
			18/1/4	0.050
			18/1/2	0.004
			17	0.016
			16/2/2	0.020
			16/2/1	0.055
			15/8	0.008
			15/6	0.008
			15/7	0.033
			200/2	0.010
			173/2	0.012
			197/1	0.043
			197/2	0.066
			193	0.026
			190	0.040
			213/9	0.033
			213/27	0.010
			213/26	0.023
			213/39	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-गोलपुरा, प.ह.नं.-79	213/38	0.017
			213/35	0.022
			214/3	0.010
			213/37	0.021
			213/36/1	0.022
			214/4/1	0.004
			255	0.018
			254	0.022
			259	0.124
			134	0.036
			261	0.005
			263/9	0.010
			263/10	0.040
			263/11	0.023
			263/12	0.006
			265/23	0.004
			265/24	0.013
			351/1	0.004
			291/1	0.079
			291/2	0.013
			293	0.016
			181/1	0.028
			182	0.030
			185	0.041
			176/1	0.059
			137	0.070
			136/6	0.034
			133/2	0.015
			141/2	0.022
			141/3/1	0.007
			141/1	0.033
			144	0.018
			145/2	0.020
			147/2	0.033
			147/4	0.016
कुल योग			79	2.357

प.क्र.-5312-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0017-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-331/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 व आर.एम.-05 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना वरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79,	147/2	0.008
			148/1	0.011
			148/2	0.008
			157/1	0.020
			148/3	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79,	157/2	0.016
			148/4	0.018
			157/3	0.020
			143	0.022
			374/3	0.002
			374/2	0.006
			374/1	0.005
			358/4	0.015
			359	0.011
			158	0.033
			157/4/2	0.021
			166/1	0.052
			167	0.014
			169/1	0.024
			183	0.025
			185	0.057
			186	0.011
			187	0.006
			180	0.006
			179	0.024
			188	0.069
			192/2	0.012
			114/3	0.003
			113/3	0.020
			112/3	0.039
			112/2	0.004
			111/3	0.025
			111/2	0.022
			111/1	0.006
कुल योग			34	0.646

प.क्र.-5315-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-347/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 03.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-डाडूर, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-डाडूर, प.ह.नं.-95,	51/2	0.036
			51/1/2	0.011
			50	0.078
			56/1	0.044
			52/1	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—डाडूर, प.ह.नं.—95,	56/2	0.028
			56/3	0.065
			65	0.015
			64	0.067
			66	0.022
			142/1	0.047
			142/2	0.086
			116/2	0.058
			116/1	0.038
			115	0.030
			107	0.021
			106	0.072
			105	0.053
			104	0.030
			103/3	0.024
			58	0.043
			60/1	0.023
			139	0.092
			122/5	0.016
			122/4	0.011
			124	0.070
			97	0.117
			98	0.016
कुल योग			28	1.227

प.क्र.-5215-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0049-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2041/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल.एम.-10 व एल.एम.-10 की माईनर पाईप नहर आर.एस.एम-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55, तहसील-सरदारपुर, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्वंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.-55,	15/2	0.040
			14/3	0.006
			15/1	0.011
			13	0.031
			9/1	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55,	2	0.019
			4	0.055
			12/2	0.014
			12/1	0.016
			1/2	0.003
			1/6	0.024
			1/4	0.010
			1/7	0.024
			1/5	0.026
			45/2	0.023
			45/3	0.012
			49/2	0.016
			49/3	0.035
			49/5	0.004
			49/4	0.092
			49/6	0.033
			49/8	0.046
			55/3	0.012
			55/2	0.012
			53/5	0.008
			55/1	0.010
			62/1	0.002
			59	0.041
			58/1/1	0.011
			58/1/2	0.023
			121/2	0.032
			121/1	0.011
			120/4	0.049
			393/1	0.024
			394/1	0.069
			394/2/1	0.031
			394/2/2	0.017
			394/2/3	0.001
			413/4	0.011
			414/2	0.034
			414/1	0.029
			415/1	0.022
			423/3	0.030
			423/2/1	0.030
			423/1	0.042
			423/2/2	0.010
			559	0.022
कुल योग			47	1.138

प.क्र.-5218-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0021-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक-2051/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023** द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,	59	0.044
			65	0.050
			60	0.022
			62	0.019
			36/3	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,	42/1	0.028
			38/5	0.023
			43	0.043
			38/3	0.009
			38/4	0.017
			36/2/2	0.030
			36/2/1	0.009
			35/1/1	0.010
			34/2	0.017
			34/1	0.003
			102	0.006
			103	0.030
			104	0.008
			110	0.027
			130/1	0.018
			106/1	0.027
			106/2	0.029
			107/2	0.030
			109	0.013
			123/3	0.034
			123/5	0.023
			123/6	0.034
			394/1	0.036
			399/1	0.020
			399/2	0.013
			399/3	0.009
			407	0.044
			412	0.023
			413/1/1/1	0.010
			417	0.030
			367	0.038
			416	0.024
			366/1	0.052
			363	0.017
			419/2	0.006
			419/3	0.026
			443	0.046
			444/2	0.033
			444/1	0.045
			446/7	0.034
			446/4	0.037
			446/3	0.054
कुल योग			47	1.210

प.क्र.-5221-री-1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0051-अ-82-2022-23

प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2046/भू-अर्जन/री-1/2023, सरदारपुर, दिनांक 23.06.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल.एम.-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-**खमालिया, प.ह.नं.-81, तहसील-सरदारपुर, जिला धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81,	189/1/1	0.005
			189/1/2	0.118
			190	0.010
			187/2	0.036
			187/1	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81,	185/2	0.021
			185/1	0.019
			184	0.032
			182/2	0.028
			176/2	0.059
			176/1	0.010
			170/1	0.039
			338/1	0.027
			170/2	0.007
			170/3	0.008
			170/4	0.008
			170/5	0.007
			161/2	0.010
			159/2	0.024
			160/2	0.014
			159/1	0.010
			155/3/1	0.011
			155/2	0.049
			9/1	0.007
			340/2	0.044
			101/2	0.030
			99	0.039
			103	0.002
			22	0.037
			19	0.099
			16	0.056
			15	0.014
			9/6	0.052
			9/5	0.017
			9/4/1	0.011
			340/3	0.002
			9/3	0.008
			155/4/2	0.007
			9/2	0.012
			7	0.057
			48	0.044
			155/3/2	0.005
			155/3/3	0.008
			155/4/1	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81	154	0.006
			153/3	0.005
			153/2	0.018
			153/1	0.016
			98	0.018
			94	0.019
			95	0.023
			30/2	0.023
			30/3	0.039
			41/1	0.026
			41/2/1	0.030
			41/2/2	0.014
			39	0.025
			44/1	0.040
			50/1	0.089
			50/2	0.020
			50/3	0.021
			47/2	0.047
			389/4	0.008
			387/1/1	0.026
			342/1	0.041
			345	0.004
			346/1/2	0.008
			346/1/1	0.018
कुल योग			68	1.733

आशा परमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2025

क्र. B-4501-दो-2-54-2022.- श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2025

क्र. C-6617-दो-2-84-2023.- श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 28 सितम्बर 2023 से 27 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

क्र. B-7588-दो-2-76-2023.- श्री वंदन मेहता, रजिस्ट्रार न्यायिक (II), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2023 से 25 सितम्बर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

क्र. D-1496-दो-2-7-2024.- श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 अक्टूबर से 22 नवम्बर 2025 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविशंकर डेकाटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो ओ.एस.डी. (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्र. B-7828-दो-2-66-2025.- श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कंट्रोलर (Account), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कंट्रोलर (Account), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कंट्रोलर (Account), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

आशीष तिवारी, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्र. A-4402-दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7323-दो-2-47-2025.— श्री दिलीप गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 19 से 20 जुलाई 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए एच.टी.सी. सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-1300-दो-2-33-2023.— श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 23 से 24 सितम्बर 2025 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-1306-दो-2-19-2015.— श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 8 अगस्त 2025 के एवं 11 अगस्त 2025 के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 9 एवं 10 अगस्त 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 8 से 11 अगस्त 2025 तक की अवधि में ब्लाक वर्ष 2025 से 2027 तक की अवधि हेतु, एच.टी.सी. की सुविधा का लाभ लेने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-1310-दो-1-14-2021.— श्री प्रदीप मित्तल, तत्कालीन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर वर्तमान में माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 10 अगस्त 2025 तक, लगभग 21 माह की अवधि के लिए 26 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1308-दो-2-36-2025.— श्री दीपक शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 29 अगस्त 2023 से 28 अगस्त 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

क्र. D-1425-दो-2-24-2022.— श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 4 नवम्बर 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1427-दो-2-114-2017.— श्री राजीव एम. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 6 से 9 अक्टूबर 2025 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2025 का दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव एम. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव एम. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र. A-4659-दो-2-47-2025.- श्री केशव मणि सिंहल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 9 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4661-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2020 से 25 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7636-दो-2-08-2023.- श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7638-दो-2-18-2025.- श्री शिव बालक साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7640-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 26 सितम्बर 2018 से 25 सितम्बर 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7642-दो-2-55-2024.- श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-6701-दो-2-21-2025.- श्री अरुण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उमरिया को दिनांक 18 से 26 नवम्बर 2025 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6703-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 24 से 29 नवम्बर 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6705-दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 03 से 04 नवम्बर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6707-दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 08 से 14 अक्टूबर 2025 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6709-दो-2-22-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए एल. टी.सी. सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-1436-दो-2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 07 से 08 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1438-दो-2-51-2025.- श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 06 से 07 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 एवं 05 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1440-दो-2-14-2025.- श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वंदना जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

क्र. A-4761-दो-2-55-2022.- श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नर्मदापुरम को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के एवं दिनांक 26 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4763-दो-2-59-2024.- श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1494-दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 10 से 17 सितम्बर 2025 तक के अर्जित अवकाश में ब्लाक वर्ष 2025 से 2027 तक की अवधि में एच.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-1498-दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2025

क्र. B-7817-दो-2-23-2020.- श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-7819—दो-2-49—2021.— श्री एम.के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम.के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7821—दो-2-58—2017.— श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 17 से 26 नवम्बर 2025 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 नवम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-7823—दो-2-8—2025.— श्री मनोज कुमार लढ़िया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनुपपूर को दिनांक 07 से 14 नवम्बर 2025 तक, आठ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-7825—दो-2-20—2024.— श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2025 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2025 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गीता सोलंकी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गीता सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर.कम-पी.पी.एस.